



पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607



क्रमांक 4680 /अका./शोध/2017

रायपुर, दिनांक 17/08/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की ईकतीसवीं* बैठक गुरुवार, दिनांक 24.08.2017 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 07.07.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
(पृ.क्र. 01 से 07 तक)
02. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07.07.2017 के कार्यवाही विवरण पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.08.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
(पृ.क्र 08 से 13 तक)

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

04. डॉ. (श्रीमती) जेड.टी.खान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, भूगोल अध्ययनशाला को अवकक्ष नगदीकरण की राशि रुपये 8,98,690/- (आठ लाख अठानबे हजार छः सौ नब्बे) की भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।
(पृ.क्र 14 सेतक)

कंप्यूटर अध्ययनशाला से संबंधित प्रस्ताव :-

05. PRSU Servers Anti-Virus Server (400. User) की मौजूदा (वार्षिक रख-रखाव) को आगामी तीन माह (अगस्त, 2017 से अक्टूबर, 2017) तक बढ़ाये जाने पर विचार करना।
(पृ.क्र 15 सेतक)

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

06. विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों की सुरक्षा-व्यवस्था का कार्य एक वर्ष के लिए DPC एवं CPC द्वारा की गई अनुसंसा का अनुमोदन करना
(पृ.क्र 16 से 17 तक)
07. विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों की साफ-सफाई व्यवस्था का कार्य एक वर्ष के लिए DPC एवं CPC द्वारा की गई अनुसंसा का अनुमोदन करना
(पृ.क्र. 18 से 20 तक)
08. Scanning, Digitization and Computer Based Answer Book Evaluation कार्य के संबंध में।
(पृ.क्र. 21 से 22 तक)

गोपनीय एवं परीक्षा से संबंधित प्रस्ताव :-


- 09 विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा-2016 के पूर्णमूल्यांकन एवं पैनलमूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता/आपत्तियों के संबंध में विचार करना। (पृ.क्र 23 से 31 तक)
10. टाकेश्वर प्रसाद वर्मा, सहायक शिक्षक पंचायत के आवेदन पत्र- **B.Com. (Part I,II,III)** वर्ष एवं एम.काम. (पूर्व एवं अंतिम) वर्ष की अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना। (पृ.क्र 32 सेतक)

प्रशासन से संबंधित प्रस्ताव :-

11. विश्वविद्यालय के विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त दिये जा रहे पारिश्रमिक से संबंधित अतिरिक्त भुगतान संबंधी आदेशों को निरस्त करने बाबत। (पृ.क्र 33 से 41 तक)
12. विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर के भली-भौति संचालन हेतु प्रस्तुत न्यास विलेख में विधिक अभिमत के पश्चात् अनुशांसा के संबंध में विचार करने बाबत। (पृ.क्र 42 से 50 तक)
13. डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में। (पृ.क्र 51 से..... तक)

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-


14. विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25 वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में लिए गये निर्णयों पर विचारार्थ प्रस्तुत। (पृ.क्र 52 से 55 तक)
15. अध्यादेश क्रमांक 180 L.L.B. Three Year Law Degree Course (Semester System) में संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना। (पृ.क्र 56 से 61 तक)
16. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।


कुलसचिव

क/4681 /अका./2017

रायपुर, दिनांक 17/08/2017

प्रतिलिपि :- 1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उपकुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

NAAC ACCREDITED "A"

क्रमांक: 4435/अका./का.प./2017

रायपुर, दिनांक : 11/07/2017

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की तीसरी* बैठक शुक्रवार, दिनांक 07.07.2017 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	—	सदस्य
3. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	—	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	—	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) जेड.टी. खान	—	सदस्य
6. डॉ. के.एल. वर्मा	—	सदस्य
7. डॉ. चंद्र कुमार चन्द्राकर	—	सदस्य
8. डॉ. डी.एन. वर्मा	—	सदस्य
9. श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
10. डॉ. बी.एल. तिवारी	—	सदस्य
11. श्री ललित सुरजन	—	सदस्य
12. श्री नरेश चंद्र गुप्ता	—	सदस्य
13. प्रो. आर.पी. दीक्षित	—	सदस्य
14. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	—	सदस्य
15. श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय सूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 22.05.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।
02. विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 के कार्यवाही विवरण पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 की बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण किया गया।
03. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 एवं 29.06.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 एवं 29.06.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

* स्वर्ण जयंती वर्ष 2014 से

04. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना ।

निर्णय : विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 01.07.2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

05 (i) छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 268/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : छ.ग. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 268/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 13 जून, 2017 के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(ii) छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 285/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक 285/एफ-2013-04-00416/वित्त/नियम/चार नया रायपुर दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनरों एवं 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2017 से 136 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्रदान किये जाने का अनुमोदन किया गया।

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजना "कर्मचारी सदस्यता अभियान-2017" के तहत 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों का ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता अशदान 12 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 48,26,200.00 (अडतालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये) भुगतान का कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्र सरकार की योजना "कर्मचारी सदस्यता अभियान- 2017" के तहत 115 दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का दिनांक 01.04.2009 से 31.12.2016 तक का 93 महिनों का ई.पी.एफ. एवं ई.सी.एस. के प्रावधानों के अंतर्गत नियोक्ता अशदान 12 प्रतिशत की दर से राशि रूपये 48,26,200.00 (अडतालिस लाख छब्बीस हजार दो सौ रूपये) भुगतान का कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

(iv) DST-FIST-Level-I Anthropology हेतु प्राप्त अनुदान 33.00 लाख में से विभिन्न उपकरण जिसका मूल्य 7,90,623.00 (सात लाख नब्बे हजार छै: सौ तेईस) है, भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु।

निर्णय : DST-FIST-Level-I Anthropology हेतु प्राप्त अनुदान 33.00 लाख में से विभिन्न उपकरण जिसका मूल्य 7,90,623.00 (सात लाख नब्बे हजार छै: सौ तेईस) है, भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

06. सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड. मई-जून 2017 के सुचारु संचालन हेतु 60 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रूपये 14.40 लाख का भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सेमेस्टर (स्नातकोत्तर) एवं सेमेस्टर परीक्षा बी.एड./एम.एड. मई-जून 2017 के सुचारु संचालन हेतु 60 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रूपये 14.40 लाख का भुगतान की सूचना ग्रहण किया गया।

07. सेमेस्टर परीक्षा 2016 के डिजीटल मूल्यांकन कार्य देयक 6,39,934=00 (छै: लाख उन्तालिस हजार नौ सौ चौतीस रूपये) भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : सेमेस्टर परीक्षा 2016 के डिजीटल मूल्यांकन कार्य हेतु 09,14,191=00 के देयक से 70% राशि का 6,39,934=00 (छै: लाख उन्तालिस हजार नौ सौ चौतीस रूपये) भुगतान की स्वीकृति दी गई।

08. कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 92,15,250=00 (ब्यानबे लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) भुगतान स्वीकृति के संबंध में प्रस्तुत।

निर्णय : वर्ष 2017 में संवाद से कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराने का देयक रु. 92,15,250=00 (ब्यानबे लाख पन्द्रह हजार दो सौ पचास रूपये मात्र) भुगतान की स्वीकृति दी गई।

परीक्षा विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

09. रिखी लाल साहू सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र B.A.,M.A. (Political Science) के अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : रिखी लाल साहू सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र B.A.,M.A. (Political Science) के अंकसूची के समर्पण करने के संबंध में विचार किया गया एवं प्रावधानानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।

10. श्री मनहरण लाल ध्रुव, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र में B.A.,M.A. (Economics, Sanskrit) के अंकसूची के समर्पण को स्वीकार करने पर विचार करना।

निर्णय : श्री मनहरण लाल ध्रुव, सहायक शिक्षक के आवेदन पत्र में B.A.,M.A. (Economics, Sanskrit) के अंकसूची के समर्पण करने के संबंध में विचार किया गया एवं प्रावधानानुसार कार्यवाही करने का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

11. केन्द्रीय कय समिति में सदस्य मनोनीत करने हेतु विचार करना।
निर्णय : केन्द्रीय कय समिति में डॉ. (श्रीमती) प्रोमिला सिंह, आचार्य, मनोविज्ञान अध्ययनशाला एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, आचार्य, भू-विज्ञान अध्ययनशाला को सदस्य मनोनीत किया गया।
12. केन्द्रीय अपलेखन समिति के पुनर्गठन हेतु विचार करना।
निर्णय : केन्द्रीय अपलेखन समिति में डॉ. के.के. घोष, आचार्य, रसायन अध्ययनशाला को सदस्य मनोनीत किया गया।
13. 02 नग माल वाहक वाहन कय करने पर विचार करना।
निर्णय : 02 नग माल वाहक वाहन कय करने का अनुमोदन किया गया।
14. विश्वविद्यालय परिसर में बाधा रहित इन्टरनेट रखने के लिये Firewall के कय हेतु।
निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में बाधा रहित इन्टरनेट रखने के लिये Firewall के कय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

15. डॉ. श्रुति झा, प्राचार्य, प्रगति महा. चौबे कालोनी, रायपुर के त्याग पत्र की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : डॉ. श्रुति झा, प्राचार्य, प्रगति महा. चौबे कालोनी, रायपुर के त्याग पत्र की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया तथा महाविद्यालय को परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति के लिये पत्र प्रेषित किया जाय।
16. दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : महाविद्यालय को प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टाफ की परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति करने हेतु नोटिस दिया जावे। अन्यथा की स्थिति में स्थायी सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जावेगा।

प्रशासन विभाग से संबंधित प्रस्ताव :-

17. डॉ दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की धारणाधिकार समाप्त किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : डॉ दिलीप तिर्की, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा की धारणाधिकार दिनांक 19.05.2017 से समाप्त किये जाने का अनुमोदन किया गया।
18. सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान के स्थायीकरण के संबंध में प्रस्तुत।
निर्णय : सुश्री माण्डवी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रबंध संस्थान को नियमानुसार स्थायीकरण करने का अनुमोदन किया गया।

19. विधानसभा सदस्य श्री सत्यनारायण शर्मा के पत्र क्रमांक 336 दिनांक 19.05.2017 के संदर्भ में श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त (निम्न वर्ग लिपिक) कर्मचारी के प्रकरण पर विचार करना।
निर्णय : श्री जानकी प्रसाद शर्मा बर्खास्त (निम्न वर्ग लिपिक) कर्मचारी के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि उपसंचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर से विशेष ऑडिट करायी जाय।
20. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माँ बंजारी का मंदिर के भली-भाँति संचालन हेतु विनियम के अनुशांसा के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माँ बंजारी का मंदिर के भली-भाँति संचालन हेतु प्रस्तुत विनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए विधिक सहमति के पश्चात् आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत करने हेतु अनुमोदन किया गया।
21. विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभिलेखागार स्थापित करने के लिये प्रस्तावित विनियम का अनुमोदन करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में अभिलेखागार स्थापित करने के लिये प्रस्तावित विनियम को पुनः परीक्षण किया जावे।
22. अध्यादेश 77.A के अनुसार Proctorial Board & Discipline Committee के गठन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।
निर्णय : अध्यादेश 77.A के अनुसार Proctorial Board & Discipline Committee के गठन हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।
23. बी.ए.एल.एल.बी. भाग-1 प्रथम सेमेस्टर, भाग-2 प्रथम सेमेस्टर, भाग-3 प्रथम सेमेस्टर तथा एल.एल.बी. भाग-1 द्वितीय सेमेस्टर के पुनः मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षाफल समिति की अनुशांसानुसार अंक दर्ज कर परिणाम घोषित करने बाबत।
निर्णय : बी.ए.एल.एल.बी. भाग-1 प्रथम सेमेस्टर, भाग-2 प्रथम सेमेस्टर, भाग-3 प्रथम सेमेस्टर तथा एल.एल.बी. भाग-1 द्वितीय सेमेस्टर के पुनः मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षाफल समिति की अनुशांसानुसार अंक दर्ज कर परिणाम घोषित किये जाने की स्वीकृती प्रदान की गई।
24. 19 ई. शोध पत्रिकाओं के लिये M/S Total Library Solutions (India), New Delhi द्वारा प्रस्तुत देयक क्र. RPPCI/TLS/PRSSUR/2017/001 दिनांक 22.06.2017 राशि रु. 22,49,839/- का भुगतान विश्वविद्यालय बजट एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करना।
निर्णय : 19 ई. शोध पत्रिकाओं के लिये M/S Total Library Solutions (India), New Delhi द्वारा प्रस्तुत देयक क्र. RPPCI/TLS/PRSSUR/2017/001 दिनांक 22.06.2017 राशि रु. 22,49,839/- का भुगतान विश्वविद्यालय बजट एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान राशि में से भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

25. अधिकारी/कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिये जाने के लिये शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : अधिकारी/कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिये जाने के लिये शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

26. शासन द्वारा अक्टूबर 2016 एवं मई 2017 में की गई दर वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा एजेंसी को वर्ष 2016 में 5 लाख से अधिक एवं 2017 में 8 लाख से अधिक व्यय भार होने की सूचना ग्रहण करने एवं विश्वविद्यालय परिसर के सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था की वृद्धि हेतु कार्योत्तर स्वीकृति

(A) सुरक्षा - 01.07.2017 से 31.07.2017

सफाई - 01.06.2017 से 31.07.2017

उपरोक्त सुरक्षा एवं सफाई कार्यों के लिये प्राप्त निविदा को दिनांक 4 एवं 5 जुलाई 2017 को खोला गया इसलिये

(1) सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 01.08.2017 से 31.08.2017 तक एक माह के लिए

(2) साफ-सफाई व्यवस्था दिनांक 01.08.2017 से 31.08.2017 तक एक माह के लिए

स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा एजेंसी को वर्ष 2016 में 5 लाख से अधिक एवं 2017 में 8 लाख से अधिक व्यय भार होने की सूचना ग्रहण करते हुए विश्वविद्यालय परिसर के सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था में निम्नानुसार की गई वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई -

(A) सुरक्षा - 01.07.2017 से 31.07.2017

सफाई - 01.06.2017 से 31.07.2017

(B) उपरोक्त सुरक्षा एवं सफाई कार्यों के लिए प्राप्त निविदा को दिनांक 04 एवं 05 जुलाई 2017 को खोला गया है जो प्रक्रियाधीन है। अतः पूर्व में कार्यरत् संस्था को पूर्व दर अनुसार सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था हेतु आगामी 01 अगस्त 2017 से 31 अगस्त 2017 तक अथवा नई व्यवस्था के आदेश जारी होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक की समयावधि में वृद्धि हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

27. विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा-2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनलमूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता/आपत्तियों के संबंध में विचार किये जाने हेतु।

निर्णय : पुनर्मूल्यांकन समन्वयक डॉ. व्ही.एन. दुबे एवं अन्य संबंधितों को परीक्षा संबंधी सभी कार्यों से पृथक रखा जाय तथा इस प्रकरण को आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

28. गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की शासी निकाय द्वारा वनस्पति शास्त्र के सहा. प्राध्यापक की सेवा समाप्ति किये जाने हेतु प्राप्त कार्यवृत्त का परीक्षण कर, आगामी कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

निर्णय : गुरुकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर की शासी निकाय द्वारा वनस्पति शास्त्र के सहा. प्राध्यापक की सेवा समाप्ति किये जाने हेतु प्रावधानानुसार अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

29. शिक्षकों के रिक्त पदों एवं केरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति के द्वारा दिनांक 28.06.2017 एवं 06.07.2017 को आयोजित साक्षात्कार में की गई अनुशंसा संबंधी लिफाफे खोले गये तथा नियुक्ति हेतु मान्य किया गया -

Interview Date	Subject	Post	Name	With Effect From
28-06-2017	Library and Information Science	Assistant Professor Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Harish Kumar Sahu	08-11-2016
06-07-2017	Law	Assistant Professor Stage 1 to 2 (CAS)	Dr. Priya Rao	09-11-2016

30. जैविकी अध्ययन शाला के प्राध्यापक डॉ. ए.के. पति को जी.एम. यूनिवर्सिटी, सम्बलपुर (उड़िसा) में कुलपति नियुक्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त आवेदन को मान्य करते हुए कार्यमुक्त होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4436 / अका./ का.प./ 2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 11 / 07 / 2017

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक 4653 / अका./ वि.प.स्थायी समिति / 2017

रायपुर, दिनांक 09 / 08 / 2017

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शनिवार, दिनांक 05.08.2017 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
3. डॉ. शैल शर्मा	-	सदस्य
4. डॉ. मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
5. डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
6. श्री धर्मेश कुमार साहू (I.A.S.) कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.06.2017 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.06.2017 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.06.2017 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 29.06.2017 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।
03. अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि प्रदान करने हेतु
(i) महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्रीराम नाथ भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर
B.Voc. - 40 Seats (New Course), B.Com. (Seat increase) - 30 Seats, B.C.A. (Seat increase) - 30 Seats सत्र 2017-18 से अस्थायी सम्बद्धता/सीट वृद्धि किये जाने हेतु।

- (ii) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला-रायपुर B.B.A.-III Year-30 Seats एवं P.G. Diploma in Yoga - 30 Seats (New Course) सत्र 2017-18 से पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने हेतु।

निर्णय: (i) महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्रीराम नाथ भिमसेन मार्ग, समता कालोनी, रायपुर को सत्र 2017-18 से B.Com. 30 Seat increase - (सीट वृद्धि 30+पूर्व सीट संख्या 150 = 180 सीट) एवं B.C.A. 30 Seat increase (सीट वृद्धि 30+पूर्व सीट संख्या 60 = 90 सीट) के लिये परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति पूर्ण होने के पश्चात् अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि के संबंध में विचार किया जावेगा।

B.Voc. Interior Design - 40 Seats (New Course) पाठ्यक्रम सत्र 2017-18 से प्रारंभ करने के लिए निम्न शर्तों के साथ अनुशंसा किया गया -

(1) तीन माह के अंदर पुस्तकों के क्रय एवं परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक पदों की नियुक्ति कर 15 दिवस पूर्व विश्वविद्यालय को पुनः निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित करेंगे।

(2) UGC की B.Voc under NQSF की नयी Guideline का अक्षरसः पालन किया जाये।

- (ii) अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती, रायपुर, जिला-रायपुर B.B.A.-III Year-30 Seats एवं P.G. Diploma in Yoga - 30 Seats (New Course) सत्र 2017-18 से अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई। तीन माह के अंदर परिनियम 28 के तहत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की पूर्ति करें एवं 15 दिवस पूर्व विश्वविद्यालय को पुनः निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित करें।

04. National Convention on Digital Initiatives for Higher Education, Action Plan 17-by-17 को लागू किये जाने पर विचार करना।

निर्णय: National Convention on Digital Initiatives for Higher Education, Action Plan 17-by-17 को लागू किये जाने की अनुशंसा की गई।

05. बी.एड. में सेशनल अंक निर्धारण करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्ययन मण्डल के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और एन.सी.टी.ई. की रेगुलेशन 2014 की कंडिका 4.3 के अनुसार बी.एड. के प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन (सेशनल) एवं 80% अंक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित करने, जिसमें प्रत्येक में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है की अनुशंसा की गई, जिसे नियमानुसार सक्षम स्वीकृति के पश्चात् अध्यादेश में संशोधन हेतु समन्वय समिति में अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का D.O. No. F.1-2/2017(CPP-II) Date 19 June, 2017 के अनुसार Ability Enhancement Compulsory Courses-Environmental Studies CBCS को लागू करने पर विचार करना।

निर्णय: निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाठ्यक्रम Ability Enhancement Compulsory Courses-Environmental Studies CBCS को केन्द्रिय अध्ययन मण्डल छ.ग. शासन को लागू करने पर विचार करने हेतु प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

07. भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली का पत्र क्र. 17-1223/P.G.D.R.P./RCI/16/6332 दिनांक 06 जून, 2017 एवं संशोधित आदेश क्र. 17-1223/P.G.D.R.P./RCI/16/7300 दिनांक 13 जुलाई, 2017 के अनुसार पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर पत्रोत्पाधि पाठ्यक्रम के अध्यादेश के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय: भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली का पत्र क्र. 17-1223/P.G.D.R.P./RCI/16/6332 दिनांक 06 जून, 2017 एवं संशोधित आदेश क्र. 17-1223/P.G.D.R.P./RCI/16/7300 दिनांक 13 जुलाई, 2017 के अनुसार पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर पत्रोत्पाधि पाठ्यक्रम के अध्यादेश का अनुशंसा की गई एवं सक्षम स्वीकृति के पश्चात् प्रस्तावित अध्यादेश को समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावे।

08. सत्र 2017-18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णय: निम्नलिखित महाविद्यालयों को दर्शाये सत्रानुसार वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. स्व. श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह महा. सरायपाली, जिला-महासमुंद
2	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल, महा. अभनपुर, जिला-रायपुर
3	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला-महासमुंद
4	नवीन शास. कालेज भखारा, जिला-धमतरी
5	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुंद
6	शास. स्व. सी.एल.एस. महा. धमतरी
7	शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद
8	राजीव गांधी शास. महाविद्यालय, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार
9	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
10	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय धमतरी
11	शास. राजमहंत नयनदास, महिलांग कॉलेज, भटगांव, जिला- बलौदाबाजार
12	शास. डी.एस.व्ही. संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
13	डॉ. राधा बाई, शास. नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
14	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला- बलौदाबाजार
15	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला-रायपुर
16	शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां रायपुर
17	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलोदा, जिला-महासमुंद
18	शास. के.एल. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बागबाहरा, जिला-महासमुंद
19	शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर
20	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग, जिला-गरियाबंद

21	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-गरियाबंद
22	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला-धमतरी
23	शासकीय मॉडल कॉलेज रायपुर
24	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला- बलौदाबाजार
25	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद
26	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी
27	शास. राजीव लोचन महा. राजिम, जिला-गरियाबंद
28	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला- बलौदाबाजार
29	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय डौंडी, जिला-बालोद (छ.ग.) (सत्र 2015-16)
30	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी-लोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.) (सत्र 2015-16)
31	शास. जी.एन.ए. कॉलेज, भाटापारा, जिला-रायपुर
32	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला-धमतरी
	अशासकीय महाविद्यालय
1	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टिट्यूट आफ बिहेवियरेले एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
2	श्री राम कालेज, ग्राम व पोस्ट-सारागांव, जिला- रायपुर (छ.ग.)
3	श्रीमती पी.जी. डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
4	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-129, ग्राम-धनेली, पो.-माना कैम्प, रायपुर (छ.ग.)
5	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम- धनेली, माना, रायपुर
6	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
7	जेनेसिस कॉलेज आफ हायर एजुकेशन, सिहावा रोड, धमतरी (छ.ग.)
8	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
9	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)
10	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय एकता नगर, गुढियारी, रायपुर (छ.ग.)
11	इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
12	दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
13	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
14	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर (छ.ग.)
15	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
16	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
17	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांडर, रायपुर जिला-रायपुर (छ.ग.)
18	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0)
19	सेंचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
20	विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
21	महर्षि दयानंद संस्कृत महाविद्यालय, कोसरंगी जिला- महासमुंद
22	ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला-रायपुर (छ.ग.)
23	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला-धमतरी (छ.ग.)
24	वंदेमातरम् महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी (छ.ग.)
25	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
26	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-483/1, पं.र.शु.वि.वि. जिम्नेशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमि, रायपुर (छ.ग.)
27	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज आफ मैनेजमेंट, छतौना, मंदिर हसौद, रायपुर
28	श्रृष्टि कॉलेज आफ आई.टी. एंड मैनेजमेंट, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)


29	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
30	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-581, ग्राम-पचेडा तह.- अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)
31	कोलम्बिया कालेज, प्लॉट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493111
32	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
33	गुरुकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.)
34	शांतिबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, महासमुंद (छ.ग.)
35	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम- पचेडा जिला- रायपुर
36	क्रुति स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर (छ.ग.)
37	क्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, नरदहा, रायपुर
38	अलशम्स इंफोटेक कॉलेज, नगरी (सिहावा) जिला-धमतरी
39	सी.आई.टी. साइंस एंड कामर्स कॉलेज, ग्राम-भेलवाडीह, अभनपुर जिला-रायपुर
40	सी.आई.टी. बी.एड. कालेज, खसरा नं.-160, स्ट्रीट-एन.एच.-43, ग्राम-भेलवाडीह, पोस्ट-उपरवारा, जिला-रायपुर
41	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लॉट नं.-334/1, 334/2, स्ट्रीट-देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, पोस्ट-अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
42	श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लॉट नं.-724/1, स्ट्रीट नं.-1, ग्राम+पोस्ट-जामगाँव, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
43	आकांक्षा लायंस स्कूल फार मेटली हैंडीकैप्ड, रायपुर (2015-16, 2016-17 एवं 2017-18)

अध्यक्ष के अनुमती से अन्य प्रकरण

01. अस्थायी सम्बद्धता एवं सीट वृद्धि प्रदान करने हेतु
 - (i) कोपलवाणी श्रवण बाधित आवासीय महाविद्यालय, रायपुर को सत्र 2017-18 से B.A.-III-FC, Drawing, Painting, Dance & Sociology- 30 Seats के लिये अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति एवं शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
02. भारत के राजपत्र जुलाई 20, 2016 में उल्लेखित ('स्वयं' के माध्यम से ऑनलाइन ज्ञान-अर्जन पाठ्यक्रमों हेतु क्रेडिट ढाँचा) विनियम 2016 एवं यू.जी.सी. का पत्र क्र. D.O.F.No. 1-100/2016(MOOCs/e-content) Date 27th July 2016 को संज्ञान में लेते हुए MOOC SWAYAM पाठ्यक्रम को लागू करने के लिये सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई तथा महाविद्यालयों को पत्र लिखकर यू.जी.सी. के वेबसाइट www.ugc.ac.in से प्रस्तावित पाठ्यक्रम में से पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु अपनी अभिरुचि प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया जाय, जिसे आगामी विद्यापरिषद् में विस्तार पूर्वक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. **A654** / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2017

रायपुर, दिनांक: **09** / 08 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।




उप कुलसचिव (अका.)

14

// कार्यालयीन टीप //

विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक 2883/स्था0/सा.प्रशा/2017 दिनांक 31/07/2017 के अनुसार डॉ० (श्रीमती) जेड.टी.खान, प्रोफेसर का दिनांक 31.07.2017 को सेवानिवृत्ति एवं 150 दिनों के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उपरांत राशि रूपये 8,98,690.00 (रूपये आठ लाख अठानवे हजार छः सौ नब्बे मात्र) का भुगतान किया जाना है।

अतः डॉ० (श्रीमती) जेड.टी.खान, प्रोफेसर के 150 दिनों के अवकाश नगदीकरण की सकल राशि रूपये 8,98,690.00 (रूपये आठ लाख अठानवे हजार छः सौ नब्बे मात्र) के भुगतान करने के पूर्व माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।


वित्त नियंत्रक
बं. ए. शु. वि. वि. रायपुर छ.प।


विषय :- PRSU Servers एवं Anti-Virus Server (400.User) की मौजूदा (वार्षिक रख रखाव) को आगामी तीन माह (अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017) तक बढ़ाये जाने बाबत।

कार्य परिषद में रखे जाने हेतु टीप:-

विषयान्तर्गत कृपया ज्ञात हो कि PRSU Servers एवं Anti-Virus Server (400.User) की वार्षिक रख रखाव (AMC)की अंतिम तिथि आज 31 जुलाई 2017 है इसके पश्चात AMC की अवधि समाप्त हो जाएगी अतः इस संबंध में M/s Key Computer Shankar Nagar Raipur द्वारा email से प्राप्त उक्त (AMC) की एक वर्ष वृद्धि हेतु Letter of Annual Maintenance Contract, (GST Rate). GST को छोड़ कर पूर्व दर पर किए जाने के संबंध में Request Letter प्राप्त हुआ है जिसमें पूर्व AMC में लागू हुआ Service Tax 15% वर्तमान GST अनुसार 18% GST Tax लगेगा एवं इसी प्रकार Anti-Virus Server (400.User) पूर्व AMC में 5% VAT, वर्तमान में GST के अनुसार 18% GST Tax लगेगा। कुलसचिव महोदय द्वारा दिये गये टीप के अनुसार मौजूदा निविदा की अवधि आगामी 03 (तीन) माह तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में।

विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में वि०वि० द्वारा निविदा सूचना क्र० 195/विकास/निसू/2017 दिनांक 15-06-2017 के माध्यम से निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। निर्धारित तिथि तक सील बंद लिफाफा में निविदा पत्र प्रस्तुत किया गया था।

- 1/ Alert Security, Lalpur, Raipur
- 2/ Ideas Inc. Management Pvt.Ltd, Shankar Nagar, Raipur
- 3/ Target Security Service, Bhairav Mandir, Bhilai
- 4/ टेगो सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, व्यापार विहार, बिलासपुर
- 5/ New Bharat Security & Detective Service, Nagpur
- 6/ C.D.O. Securities & Public Helpline Service, Durg
- 7/ श्रीमती सविता शुक्ला बाला जी सिक्योरिटी सर्विस, डी.डी.यू. नगर, रायपुर
- 8/ सी.जी. सिक्योरिटी सर्विस, मुकुट नगर, रायपुर
- 9/ Right Vigilance & Security Pvt. Ltd. Tagore Nagar, Raipur
- 10/ Metas Security & Fire Services Pvt. Ltd., Raipur

उपरोक्त फर्मों में से प्राप्त सील बंद लिफाफा को निविदा कर्ता की उपस्थिति में दिनांक 04.07.2017 को खोला गया निम्नलिखित फर्मों द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अमान्य किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

- 1/ Alert Security, Lalpur, Raipur
- 2/ श्रीमती सविता शुक्ला बाला जी सिक्योरिटी सर्विस, डी.डी.यू. नगर, रायपुर
- 3/ Right Vigilance & Security Pvt. Ltd. Tagore Nagar, Raipur

निम्नलिखित फर्मों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही पाये जाने पर दर सूची खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	फर्मों का नाम	सुरक्षा गार्ड प्रति शिफ्ट	गनमैन प्रति शिफ्ट	टैक्स/सेवा शुल्क	सुरक्षा एजेंसी का सेवा शुल्क	सुरक्षाकर्मियों के ईपीएफ अंशदान कटौती	सुरक्षाकर्मियों के ईएसआई कटौती अंशदान
01	Ideas Inc. Management Pvt.Ltd	रु.15418/-	रु.16978/-	-	रु.63/- रु.63/-	रु.2029/- रु.2234/-	रु.732/- रु.806/-
02	Target Security Service	रु.9100/- 26 दिन	रु.9100/- 26 दिन	नियमानुसार	0.01%	रु.1196/-	रु.432.25/-
03	टेगो सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	रु.8450/-	रु.10660/-	-	01/-	रु.13.36%	04.75%
04	New Bharat Security & Detective Service	रु.8450/-	रु.9880/-	-	0.01 पैसा	रु.1014/-	रु.147.87/-

29-7-17

17

05	C.D.O Securities & Public Helpline Service	रु.9100/- 26 दिन	रु.9100/- 26 दिन	नियमानुसार	रु.00/-	रु.1196.65/-	रु.432.25/-
06	सी.जी. सिक््योरिटी सर्विस	रु.10666.44	रु.12492.27	15%	रु.01/-	12%	01.75%
07	Metas Security & Fire Services Pvt. Ltd.	रु.8450/-	रु.16000/-	रु.4401	0.51 पैसा	रु.1014/-	रु.401.38/-

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार C.D.O. Securities & Public Helpline Service, Durg द्वारा सुरक्षा एजेन्सी का सेवा शुल्क रु.00/- दर प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के संबंध में कृपया No.29(1)/2014 PPD, Ministry of Finance, Department of Expenditure, P.P.Division, North Block, New Delhi, Dated 28th January, 2014 के द्वारा जारी पत्र के कंडिका 03 का कृपया अवलोकन करना चाहें। उक्त पत्र के अनुसार It is, therefore, decided that the Ministries/Departments may consider inclusion of the clause in the bid documents itself that "If a firm quotes 'Nil' charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered. उपरोक्त पत्र के अनुसार संबंधित फर्म के द्वारा सेवा शुल्क के रूप में प्रस्तुत दर रु.00/- मान्य योग्य नहीं है। उक्त फर्म द्वारा 26 दिनों के लिए रु.9100=00 प्रस्तुत किया गया है जबकि सुरक्षा व्यवस्था का कार्य पूरे 30 दिन कराया जाना है। इस प्रकार 4 दिन का अतिरिक्त वेतन रु.350=00 प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन का जोड़ने पर रु.1400=00 होता है। इस प्रकार उक्त फर्म से 30 दिन के कार्य के लिए रु.10,500=00 होता है।

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग) द्वारा न्यूनतम वेतन का दर जारी किया गया है जिसके अनुसार

1. अकुशल श्रमिक - सुरक्षा गार्ड के लिए रु.3450=00 मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
2. कुशल श्रमिक - आर्म्ड सिक््युरिटी गार्ड के लिए रु.9880=00 मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।

New Bharat Security & Detective Service, Nagpur द्वारा निम्नानुसार दर प्रस्तुत किया गया है-

1. अकुशल श्रमिक - सुरक्षा गार्ड के लिए प्रति माह रु.8450=00
2. कुशल श्रमिक - आर्म्ड सिक््युरिटी गार्ड के लिए प्रतिमाह रु.9880=00
3. सुरक्षा एजेन्सी का सेवा शुल्क रु.0.01 पैसा

उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत दर अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर से कम है। डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. द्वारा न्यूनतम दर के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से लिये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. किये गये अनुशंसा के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य 01 वर्ष के लिये New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से लिये जाने के लिए कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

29-7-17

विषय :- विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सफाई व्यवस्था के संबंध में।

विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की सफाई व्यवस्था के संबंध में वि०वि० द्वारा निविदा सूचना क्र० 195/विकास/निसू/2017 दिनांक 15-06-2017 के माध्यम से निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। निर्धारित तिथि तक सील बंद लिफाफा में निविदा पत्र प्रस्तुत किया गया था।

- 1/ The Hardcore Security Services, Raipur
- 2/ Ideas Inc. Management Pvt.Ltd, Shankar Nagar, Raipur
- 3/ पुजा बुद्धेला P.B.Service, सिविल लाईन, रायपुर
- 4/ Target Security Service, Bhairav Mandir, Bhilai
- 5/ शिवानी सिक्युरिटी सर्विस, टिकरापारा, रायपुर
- 6/ New Bharat Security & Detective Service, Nagpur
- 7/ C.D.O. Securities & Public Helpline Service, Bhilai, Durg
- 8/ Metas Security & Fire Services Pvt. Ltd., Raipur
- 9/ Right Vigilance & Security Pvt. Ltd., Raipur
- 10/ Kamthean Security Service, Indore

उपरोक्त फर्मों में से प्राप्त सील बंद लिफाफा को निविदा कर्ता की उपस्थिति में दिनांक 05.07.2017 को खोला गया निम्नलिखित फर्मों द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अमान्य किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

- 1/ The Hardcore Security Services, Raipur
- 2/ Ideas Inc. Management Pvt.Ltd, Shankar Nagar, Raipur
- 3/ पुजा बुद्धेला P.B.Service, सिविल लाईन, रायपुर
- 4/ Target Security Service, Bhairav Mandir, Bhilai

निम्नलिखित फर्मों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही पाये जाने पर दर सूची खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	फर्मों का नाम	सफाई एजेंसी का सेवा शुल्क	सफाई सामग्री का दर प्रति माह	सफाई कर्मों का वेतन प्रति माह	सफाई कर्मों के ईपीएफ कटौती अंशदान	सफाई कर्मों के ईएसआई कटौती अंशदान
01	शिवानी सिक्युरिटी सर्विस	रु.0.01 पैसा	रु.20000=00	रु.8450=00	रु.1014=00	रु.147.87= रु.01.75%
02	New Bharat Security & Detective Service	रु.0.01 पैसा	रु.20000=00	रु.8450=00	रु.1014=00 रु.12%	रु.147.87=00 रु.01.75%
03	C.D.O. Securities & Public Helpline Service	रु.00.00	रु.20000=00	रु.8450=00	रु.1111.17 पैसा	रु.401.37 पैसा
04	Metas Security & Fire Services	रु.0.51 पैसा	रु.20000=00	रु.8450=00	रु.1014=00	रु.401.38 पैसा

	Pvt. Ltd.					
05	Right Vigilance & Security Pvt. Ltd.	रु.207=00	रु.390=00	रु.8450=00	रु.1111=00	रु.401=00
06	Kamthean Security Service	रु.0.01 पैसा	रु.20000=00	रु.8450=00	रु.1111.17 पैसा	रु.401.37 पैसा

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार C.D.O. Securities & Public Helpline Service, Bhilai, Durg द्वारा सफाई एजेन्सी का सेवा शुल्क रु.00/- दर प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के संबंध में कृपया No.29(1)/2014-PPD, Ministry of Finance, Department of Expenditure, P.P.Division, North Block, New Delhi, Dated 28th January, 2014 के द्वारा जारी पत्र के कंडिका 03 का कृपया अवलोकन करना चाहें। उक्त पत्र के अनुसार It is, therefore, decided that the Ministries/Departments may consider inclusion of the clause in the bid documents itself that "If a firm quotes 'Nil' charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered. उपरोक्त पत्र के अनुसार संबंधित फर्म के द्वारा सेवा शुल्क के रूप में प्रस्तुत दर रु.00/- मान्य योग्य नहीं है।

कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायपुर (छ.ग) द्वारा न्यूनतम वेतन का दर जारी किया गया है जिसके अनुसार-

- 1 अकुशल श्रमिक के लिए रु.8450=00 मासिक वेतन निर्धारित किया गया है।
- 2 वि.वि. द्वारा 17 भवनों के सफाई सामाग्री हेतु न्यूनतम रु.20000=00 प्रति माह दर निर्धारित किया गया था।
- 3 कुल 06 फर्मों में से 05 फर्मों द्वारा सफाई सामाग्री के लिए न्यूनतम दर रु.20000=00 एवं सफाई कर्मों का रु.8450=00 मासिक वेतन प्रस्तुत किया गया है।

निम्नलिखित फर्मों द्वारा सफाई एजेन्सी का सेवा शुल्क रु.0.01 पैसा प्रस्तुत किया गया है-

क्र.	फर्मों का नाम
01	शिवानी सिक्युरिटी सर्विस
02	New Bharat Security & Detective Service
03	Kamthean Security Service

उपरोक्त फर्मों द्वारा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. हेतु निम्नानुसार दर प्रस्तुत किये हैं-

क्र.	फर्मों का नाम	सफाई कर्मों के ईपीएफ कटौती अंशदान	सफाई कर्मों के ईएसआई कटौती अंशदान
01	शिवानी सिक्युरिटी सर्विस	रु.1014=00	रु.147.87=00 रु.01.75%
02	New Bharat Security & Detective Service	रु.1014=00 रु.12%	रु.147.87=00 रु.01.75%
03	Kamthean Security Service	रु.1111.17 पैसा	रु.401.37 पैसा


उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार New Bharat Security & Detective Service एवं शिवानी सिक्युरिटी सर्विस द्वारा प्रस्तुत दर समान है।

कार्य अनुभव-

- 1 शिवानी सिक्युरिटी सर्विस, टिकरापारा, रायपुर द्वारा 04 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा वर्तमान में मात्र एक जगह इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है।
- 2 New Bharat Security & Detective Service, Nagpur द्वारा विगत 05 वर्षों से वि.वि. परिसर व भवनों की सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है साथ ही वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग छ.ग. शासन एवं भारतीय भू विज्ञान सर्वेक्षण विभाग रायपुर में किया जा रहा है।

डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. द्वारा New Bharat Security & Detective Service, Nagpur द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर एवं कार्य अनुभव के आधार पर वि.वि. परिसर एवं भवनों की साफ सफाई का कार्य लिये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से वि.वि. परिसर एवं भवनों की साफ सफाई का कार्य 01 वर्ष के लिये स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।


8-8-17

कार्य परिषद में रखें जाने हेतु संक्षेपिका

विषय- Scanning, Digitization and Computer Based Answer Book Evaluation कार्य हेतु।

विश्वविद्यालय में Scanning, Digitization and Computer Based Answer Book Evaluation. के संबंध में वि०वि० द्वारा निविदा सूचना क्र० 214/विकास/निसू/2017 दिनांक 12-07-2017 के माध्यम से निविदा सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। निर्धारित तिथि तक सील बंद लिफाफा में निविदा पत्र प्रस्तुत किया गया था।

1. TRS FORMS & SERVICES PRIVATE LIMITED, No.23, Chakrapani Street, West Mambalam, Chennai-600033, Ph-044-24724565/23724031/ 919444004023.
2. Perfect Infosoft Pvt. Ltd., Near Central School, Hanuman Nagar, PO. Birla Vikas, District Satna-485001 (M.P.) Mob.-919425173405
3. Milestone Soft. Tach. Pvt. Ltd., 69/2, Vikas Nagar, Devpuri, Raipur C.G., Phone-0771-2970678, 9425596529
4. Mind Logicx Infratec Limited Techllano, 10/1-B, Graphite India Road, Hoodi Circle, Near White field, Bangalore- 560048,
5. Aptech Limited, A-65, Aptech House, MIDC, Kiarol Andheri[E] Mumbai
6. M/s OMR INDIA OUTSOURCES PVT LTD. Okhla New Delhi.

उपरोक्त फर्मों में से प्राप्त सील बंद लिफाफा को निविदा कर्ता की उपस्थिति में दिनांक 20.07.2017 को खोला गया निम्नलिखित फर्मों द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण अमान्य किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. Perfect Infosoft Pvt. Ltd., Near Central School, Hanuman Nagar, PO. Birla Vikas, District Satna-485001 (M.P.) Mob.-919425173405
2. Milestone Soft. Tach. Pvt. Ltd., 69/2, Vikas Nagar, Devpuri, Raipur C.G., Phone-0771-2970678, 9425596529
3. Mind Logicx Infratec Limited Techllano, 10/1-B, Graphite India Road, Hoodi Circle, Near White field, Bangalore- 560048,
4. M/s OMR INDIA OUTSOURCES PVT LTD. Okhla New Delhi.
5. M/s Magnetic Infotech Pvt. Ltd 24, Nagarjuna Hills, Punjagutta, Hyderabad. (डॉक/कोरियर द्वारा प्राप्त नहीं होने एवं समय सीमा के उपरांत प्राप्त होने पर इसे नहीं खोला गया)

निम्नलिखित फर्मों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सही पाये जाने पर दर सूची खोला गया जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. TRS FORMS & SERVICES PRIVATE LIMITED, No.23, Chakrapani Street, West Mambalam, Chennai-600033, Ph-044-24724565/23724031/ 919444004023.
2. Aptech Limited, A-65, Aptech House, MIDC, Kiarol Andheri[E] Mumbai

[Handwritten Signature]
18-8-17

Bidder's Name	Scanning/Digitization of Answer Book & Implementation of Secured Centralized Integrated Web-based Document Management System (With software, unfolding, folding document in "as it is" form) [PER PAGE]	Performing Web-based Evaluation/Revaluation/Retotalling/Panel Valuation etc. and processing of result of Answer Book which is already scanned and digitized as per Sr. No.1		Total Amount (Rupees)
		A.Evaluation/Revaluation/ Panel Valuation of Answer Book Per Answer Book per evaluation	B.Retotalling of Valued A/B obtained Marks Per Answer Book	
TRS FORMS & SERVICES PRIVATE LIMITED, CHENNAI	Rs.0.46 per page. (Rs.Forty Six Paise)	Rs.24.00 per Ans.- Book (Rs. Twenty Four)	Rs.15.00 per Ans-Book (Rs. Fifteen Only)	Rs.39.46 (Rs. Thirty Nine & Forty Six paise)
Aptech Limited, Mumbai	Rs.0.55 per page (Rs. Fifty Five Paise) टीप- उक्त फर्म द्वारा दिनांक 22.07.2017 को पत्र प्रस्तुत कर स्केनिंग कार्य हेतु Rs.0.55 per page के स्थान पर Rs.0.46 per page की दर से कार्य करने हेतु सहमति दिये है। उक्त फर्म से Rs.0.46 per page की दर से कार्य लिया जाना है।	Rs.21.24 per Ans-Book (Rs.Twenty one & twenty four paise)	Rs. 0.01 per Ans.-Book (One paise only)	Rs.21.71 (Rs. Twenty one & Eighty paise)

उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार Aptech Limited, A-65, Aptech House, MIDC, Kiarol Andheri[E] Mumbai द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम है। अतः न्यूनतम दर के आधार पर उक्त फर्म से Scanning, Digitization and Computer Based Answer Book Evaluation कार्य कराये जाने हेतु डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी द्वारा अनुशंसा किया गया है। डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. द्वारा किये गये अनुशंसा के सन्दर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी कार्य के आवश्यकता को देखते हुए वि.वि. द्वारा जारी निविदा में दिये गये शर्तों के अनुरूप कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्यासा में उक्त फर्म से रु.500000=00 (रु. पाँच लाख मात्र) वि.वि. कोष में नगद Security Deposit जमा करा कर अनुबंध करने के लिये पत्र जारी किया गया है। उक्त फर्म द्वारा रु.500000=00 वि.वि. कोष में जमा किया गया है।

अतः निविदा के माध्यम से न्यूनतम दर के आधार पर Scanning, Digitization and Computer Based Answer Book Evaluation कार्य Aptech Limited, A-65, Aptech House, MIDC, Kiarol Andheri[E] Mumbai से कराये जाने के संबंध में स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Handwritten signature and date: 18-8-17

विषय:- विश्वविद्यालय की वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा 2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन में समन्वयक के द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के संबंध में गठित जांच समिति के निष्कर्ष एवं वित्तीय अनियमितता/आपत्तियों के संबंध में विचार किये जाने हेतु।

- संदर्भ:-
1. पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निष्पक्ष जांच हेतु डी.सी.डी.सी. की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट।
 2. पुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन के लिए समन्वयक द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि के समायोजन हेतु प्रस्तुत किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियां।

वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षा 2016 से संबंधित उत्तर-पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन कराये जाने हेतु आदेश क्रमांक 3508/गोप./2016, दिनांक 13.07.16 द्वारा डॉ. व्यासनारायण दुबे, प्राध्यापक, भाषा एवं साहित्य अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को समन्वयक नियुक्त किया गया था तथा आदेश क्रमांक 3681/गोप./2016, दिनांक 11.08.2016 के द्वारा डॉ. शिवानी बसु, माता गुजरी महाविद्यालय, जबलपुर को सहायक समन्वयक नियुक्त किया गया था। समन्वयक द्वारा इस कार्य हेतु आवश्यकता अनुरूप किशतों में विश्वविद्यालयीन कोष से कुल राशि रुपये 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख मात्र) अग्रिम के रूप में प्राप्त की गई थी।

बी.कॉम. भाग - 2 के छात्र आयुष अग्रवाल द्वारा पुनर्मूल्यांकन पश्चात आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा की उत्तर-पुस्तिकाओं की छाया प्रति नियमानुसार प्राप्त कर त्रुटिपूर्ण पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन किये जाने की शिकायत की गई। जिसे संज्ञान में लेकर कुलपति महोदय द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराये जाने पर शिकायत सही पाई गई। इसके अनुक्रम में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.01.2017 के पूरक सूची विषय क्रमांक - 03 पर लिये गये 'निर्णयानुसार छात्र का परीक्षा परिणाम संशोधित किया गया। तत्पश्चात कार्यपरिषद बैठक दिनांक 16.02.2017 विषय क्रमांक - 02 (बिंदु क्र. - 14) में लिये गये निर्णय के परिपालन में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन के दोषी पाये जाने पर राज्य से बाहर के आठ पुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ताओं को भविष्य में परीक्षा कार्य से वंचित किये जाने के पूर्व नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। जिसमें से दो मूल्यांकनकर्ताओं ने डॉ. पूनम शर्मा (पैनल मूल्यांकनकर्ता - आधार पाठ्यक्रम हिन्दी भाषा) एवं डॉ. हर्लिन रुपराह (पुनर्मूल्यांकन मूल्यांकनकर्ता - आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा) द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी उत्तर-पुस्तिका के मूल्यांकन कार्य किये जाने एवं किसी प्रकार के पारिश्रमिक प्राप्त किये जाने से इंकार किया है।

इस दौरान पुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन के संबंध में अनियमितता से संबंधित छात्रों की शिकायतों एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे खबरों को ध्यान में रखकर मामले के निष्पक्ष जांच किये जाने हेतु डी.सी.डी.सी. की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि समन्वयक द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन कार्य में लापरवाही बरती गई है।(संलग्न-जांच समिति का जांच प्रतिवेदन)

समन्वयक द्वारा अपना पक्ष रखते हुए जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रत्युत्तर में लेख किया है कि वे डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हर्लिन रूपराह को न तो जानते हैं और न पहचानते हैं तथा उन्होंने मूल्यांकनकर्ता द्वय को उत्तर-पुस्तिकाएं प्रदान नहीं की है, परंतु गोपनीय विभाग को उनके द्वारा अंको के पर्ण डॉ. पूनम शर्मा (पर्ण 21 पृष्ठ) एवं डॉ. हर्लिन रूपराह (पर्ण 408 पृष्ठ) के नाम से पुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकनकर्ता के रूप में प्रदान किया गया है। साथ ही वित्त विभाग के समक्ष अग्रिम राशि के समायोजन हेतु प्रस्तुत देयकों को (डॉ. पूनम शर्मा 11 देयक, कुल राशि रुपये 4278/-) तथा (डॉ. हर्लिन रूपराह 79 देयक, कुल राशि रुपये 1,19,355/-) कुल देयक 90 पृष्ठ एवं कुल राशि रुपये 1,23,633/- (रुपये एक लाख तेइस हजार छैः सौ तैतिस मात्र) को प्रमाणित कर समायोजन हेतु अग्रेषित किया गया है। दोनों मूल्यांकनकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गये स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में किये गये हस्ताक्षर एवं अंकों के पर्ण तथा पारिश्रमिक देयक में अंकित हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। इस क्रम में यह भी लेख है कि समन्वयक द्वारा पुनर्मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराने के उपरांत अग्रिम राशि के समायोजन हेतु दिनांक 03.03.17 को वित्त नियंत्रक के समक्ष मूल्यांकनकर्ता शिक्षकों को किये गये पारिश्रमिक भुगतान से संबंधित देयक प्रस्तुत किये गये थे। जिसका वित्त विभाग द्वारा परीक्षण किये जाने पर प्रथम दृष्टया अनेक पारिश्रमिक देयकों पर आपत्ति दर्ज की गई है एवं यह उल्लेख किया गया है कि - एक ही मूल्यांकनकर्ता के नाम से प्रस्तुत विभिन्न पारिश्रमिक देयकों में हस्ताक्षर भिन्न है। अतः मिलान नहीं हो रहा है। कुछ पारिश्रमिक देयकों में मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर ही नहीं हैं तथा कुछ में निर्धारित दर से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

इस प्रकरण के संबंध में निर्देशानुसार श्री नीरज चौबे, उच्च न्यायालय अधिवक्ता, बिलासपुर से अभिमत प्राप्त किया गया। उनके द्वारा प्रेषित विधिक अभिमत में उन्होंने उल्लेख किया है कि - " प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हर्लिन रूपराह के पत्र में अंकित उनके हस्ताक्षर का मिलान देयक पत्रक में अंकित हस्ताक्षर से कराये जाने हेतु हस्तलिपि विशेषज्ञ का अभिमत लिया जा सकता है। "

उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि - " तत्पश्चात संबंधित मूल्यांकन समन्वयक, जिनके मार्गदर्शन में मूल्यांकन कार्य संपादित हुआ था। उनके द्वारा विश्वविद्यालय से

छलकपट, विश्वास भंग किये जाने के साथ ही आर्थिक अपराध किये जाने की संभावना प्रबल होती है। जिसके संबंध में संबंधित के विरुद्ध अपराध सूचना दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। "(संलग्न- विधिक अभिमत)

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा प्रकरण के संबंध में हैंडरायटिंग एक्सपर्ट सुश्री सुनंदा ढेंगे को पत्र प्रेषित करते हुए प्रकरण के संबंध में डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हर्लिन रूपराह द्वारा प्रेषित पत्रों तथा पारिश्रमिक बिलों पर उनके नाम से किये गये हस्ताक्षर का मिलान करने हेतु उनसे रिपोर्ट लेख किया गया। " हैंडरायटिंग एक्सपर्ट सुश्री सुनंदा ढेंगे द्वारा दिनांक 09.6.17 को प्रेषित रिपोर्ट में डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हर्लिन रूपराह के अधिकृत हस्ताक्षरों (कार्यालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर) के अभाव में कोई स्पष्ट अभिमत देने में असमर्थता व्यक्त की गई है। "

उपरोक्त प्रकरण में विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि - विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा समन्वयक को प्रेषित पत्र क्रमांक 1894/सा.प्रशा./2017, रायपुर , दिनांक 23.05.17 प्रेषित करते हुए वस्तुस्थिति की जानकारी बाबत लिखित में उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था।

जिसके जवाब में प्रकरण के संबंध में समन्वयक से दिनांक 25.05.17 को जो जवाब प्राप्त हुआ है उसमें स्वीकार किया गया है कि - " उन्होंने मूल्यांकनकर्ता द्वय डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हर्लिन रूपराह को मूल्यांकन हेतु उत्तर-पुस्तिका नहीं सौंपी है। परंतु पारिश्रमिक भुगतान के दौरान नाम से प्राप्त पारिश्रमिक बिलों को समयाभाव के कारण नहीं देख पाये और सहायक समन्वयक के द्वारा परीक्षण कर प्रस्तुत पारिश्रमिक बिलों को बिना परीक्षण किये उनका भुगतान कर दिया गया। "

जबकि समन्वयक का कर्तव्य होता है कि वह संबंधित शिक्षकों को अपनी उपस्थिति में उत्तर-पुस्तिकाएं मूल्यांकन हेतु उपलब्ध करावे एवं मूल्यांकन उपरांत शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये पारिश्रमिक बिलों का भुगतान स्वयं करें या अपनी उपस्थिति में कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समन्वयक को पत्र क्रमांक 4920/गोप./2017, रायपुर, दिनांक 30.06.17 प्रेषित किया गया था - के प्रत्युत्तर दिनांक 04.07.17 के बिंदु क्रमांक - 03 में उन्होंने स्वीकार किया है कि " पारिश्रमिक देयकों में किनका नाम लिखा है समयाभाव के कारण नहीं देख पाया था " तथा बिंदु क्रमांक - 04 में लेख है कि " डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हर्लिन रूपराह को न तो देखा है और न ही पहचानते हैं। " बिंदु क्रमांक - 07 में उल्लेख किया है कि " डॉ. हर्लिन रूपराह के स्थान पर डॉ. गुरप्रीत दुआ के द्वारा मूल्यांकन किया गया है तथा भुगतान भी उन्हे/उनके माध्यम से किया गया है। " (समन्वयक द्वारा अंको के पर्ण/प्रतिपर्ण तथा वित्त विभाग को प्रेषित पारिश्रमिक देयक डॉ. हर्लिन रूपराह के नाम से प्रस्तुत किया गया है) इसी प्रकार बिंदु क्रमांक - 08 में उल्लेख किया है कि " पैनल मूल्यांकन हेतु डॉ. सपना श्रीवास्तव को

इस आग्रह के साथ कि वे 02 अन्य प्राध्यापकों के साथ मिलकर मूल्यांकन करेंगे उत्तर-पुस्तिकाओं को सौपा गया था। संबंधित प्राध्यापकों के देयकों को भुगतान भी उनके माध्यम से किया गया है। ऐसी स्थिति में डॉ. पूनम शर्मा के नाम का उल्लेख डॉ. सपना श्रीवास्तव द्वारा किया गया होगा। ”

उपरोक्त से ऐसा स्पष्ट होता है कि समन्वयक द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन गंभीरता पूर्वक नहीं किया गया है, जिसके कारण उपरोक्त अनियमितताएं परिलक्षित हुई हैं। उनका यह कृत्य विश्वविद्यालय परिनियम की कंडिका - 13 (अ) (1) के तहत कर्तव्य के प्रति विमुखता/लापरवाही को इंगित करता है। उनके इस कृत्य के कारण विश्वविद्यालय कोष को भी नुकसान पहुंचा है एवं विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है।

अतः प्रकरण में आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मान. कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

जांच प्रतिवेदन

विषय: पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन की जांच बाबत।

- संदर्भ: 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4028/गोप./2017 रायपुर, दिनांक 02.03.2017
2. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4408/गोप./2017 रायपुर, दिनांक 20.04.2017

पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन से संबंधित प्रकाशित खबरों की जांच हेतु गठित समिति की प्रथम बैठक दिनांक 08.03.2017 को हुई। चूंकि प्रकरण बी.काम. भाग-2 अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम एवं हिन्दी भाषा आधार पाठ्यक्रम के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन से संबंधित है, अतः जांच समिति ने गोपनीय विभाग द्वारा इस प्रकरण से संबंधित उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों का अवलोकन किया।

मूल्यांकन प्रपत्रों के अनुसार बी.काम. भाग-2 हिन्दी भाषा आधार पाठ्यक्रम वी.एन. 46 के पुनर्मूल्यांकनकर्ता निम्न रहे, है—

1. डॉ.रानू राठौर
2. डॉ. कीर्ति बाजपेयी

बी.काम. भाग-2 हिन्दी भाषा आधार पाठ्यक्रम जे.डी. 44 के पैनल मूल्यांकनकर्ता निम्न रहे है—

1. डॉ.रानू राठौर
2. डॉ. सपना श्रीवास्तव
3. डॉ.पूनम शर्मा

इसी प्रकार बी.काम. भाग-2 अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम वी.एन. 47 के पुनर्मूल्यांकनकर्ता निम्न रहे है—

1. डॉ. शिवानी बसु
2. डॉ. हरलीन रूपरा

बी.काम. भाग-2 अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम जे.डी. 45 के पैनल मूल्यांकनकर्ता निम्न रहे है—

1. डॉ. शिवानी बासू
2. डॉ. दीप्ती मिश्रा
3. डॉ. गुरुप्रीत दुआ

समिति ने विचारोपरान्त निम्नलिखित दस्तावेज यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु गोपनीय विभाग को सूचित किया।

1. पैनल मूल्यांकनकर्ताओं के नियुक्ति के संबंध में नियम।
2. पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं एवं पैनल मूल्यांकनकर्ताओं से इस प्रकरण के संबंध में प्रतिवेदन।

प्रथम बैठक के कुछ अवधि पश्चात् डॉ.अंजनी शुक्ला डी.सी.डी.सी. के नियामक आयोग में अध्यक्ष नियुक्त होकर जाने के कारण उनके स्थान पर प्रो. ए.के. गुप्ता को डी.सी.डी.सी. का प्रभार दिया गया एवं जांच समिति का अध्यक्ष नामित किया गया।

प्रथम बैठक में चाहे गये दस्तावेज प्राप्त कर गोपनीय विभाग ने दिनांक 26.04.2017 को जांच समिति की बैठक आयोजित की। जिसमें गोपनीय विभाग द्वारा सात मूल्यांकनकर्ताओं

Bahmani

usangle

Acemur

के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। बैठक में दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् निम्न तथ्य समिति के संज्ञान में आये-

पैनल मूल्यांकनकर्ता हिन्दी भाषा आधार पाठ्यक्रम डॉ. पूनम शर्मा, माता गुजरी महाविद्यालय जबलपुर और पुनर्मूल्यांकनकर्ता अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम डॉ. हरलीन रूपरा, पूर्व प्राध्यापिका माता गुजरी महाविद्यालय जबलपुर द्वारा अपने प्रतिवेदन में रविशंकर विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार के मूल्यांकन कार्य किये जाने से इंकार किया है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में समिति ने आगामी कार्यवाही के पूर्व पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन प्रभारी से पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने हेतु गोपनीय विभाग को सूचित किया।

समन्वयक पुनर्मूल्यांकन इकाई द्वारा गोपनीय विभाग को 15.05.2017 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके संदर्भ में गोपनीय विभाग द्वारा 18.05.2017 को जांच समिति की बैठक पुनः आयोजित की गयी।

समन्वयक पुनर्मूल्यांकन इकाई ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 15.05.2017 के बिन्दु क्र. 7 में उल्लेख किया है कि लगभग 98 प्रतिशत कापियों के वितरण का कार्य उनके समक्ष किया जाता है तथा एक पंजी में दी गई उत्तर पुस्तिकाओं की जानकारी अंकित की जाती है तथा संबंधित प्राध्यापक से हस्ताक्षर लिया जाता है।

इन तथ्यों के दृष्टिगत समिति ने उक्त दोनों मूल्यांकनकर्ताओं (डॉ. पूनम शर्मा एवं डॉ. हरलीन रूपरा) को उत्तर पुस्तिका किस प्रकार प्राप्त हुई और उनके द्वारा प्राप्तांकों की सूची विश्वविद्यालय को कैसे प्राप्त हुई जबकि दोनों ने लिखित में मूल्यांकन कार्य से इंकार किया है इस संबंध में समन्वयक पुनर्मूल्यांकन से जबाव मांगे जाने हेतु गोपनीय विभाग को सूचित किया।

समन्वयक पुनर्मूल्यांकन इकाई ने उपरोक्त बिन्दु पर दिनांक 19.05.2017 को प्रतिवेदन गोपनीय विभाग को प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त प्रतिवेदन के संदर्भ में गोपनीय विभाग द्वारा 23.05.2017 को जांच समिति की बैठक पुनः आयोजित की गयी। जांच समिति ने समन्वयक पुनर्मूल्यांकन इकाई के प्रतिवेदन दिनांक 19.05.2017 तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

प्रतिवेदन के प्रारंभ में समन्वयक ने उल्लेख किया है कि मूल्यांकनकर्ताओं डॉ. पूनम शर्मा तथा डॉ. हरलीन रूपरा को उन्होंने न तो देखा है, और न ही पहचानते हैं। तथा इन दोनों मूल्यांकनकर्ताओं के नाम उनके द्वारा संघारित पंजी में कहीं भी दर्ज नहीं है।

प्रतिवेदन के कुछ तथ्य निम्नानुसार हैं-

1. प्रतिवेदन के कंडिका-1 में समन्वयक ने लेख किया है कि पुनर्मूल्यांकन/पैनल मूल्यांकन हेतु संबंधित प्राध्यापकों को उत्तर पुस्तिका के पैकेट प्रदान करते समय उनके

Balwade

abppl

Asmani

नाम एवं अन्य विवरण संधारित किये गये पंजी में दर्ज किया जाता है तथा उनके हस्ताक्षर लिये जाते हैं। संबंधित प्राध्यापक द्वारा उत्तर-पुस्तिका के पैकेट कार्य पश्चात् वापस किये जाने पर पंजी के संबंधित खण्ड को कास किया जाता था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट वापस प्राप्त हो गये हैं।

2. प्रतिवेदन के कंडिका-3 में समन्वयक ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान बी.काम. भाग-2 अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम पैकेट नं. व्ही.एन.47 पुनर्मूल्यांकन के प्रथम मूल्यांकन हेतु डॉ. शिवानी बसु को प्रदान किया गया था एवं द्वितीय मूल्यांकन हेतु डॉ. गुरप्रीत दुआ को प्रदान किया था, जो उनके रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 34 में दर्ज है। तथा उन्होंने लेख किया है कि द्वितीय मूल्यांकन डॉ. गुरप्रीत दुआ द्वारा किया गया है।

यहां उल्लेखनीय है कि गोपनीय विभाग द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन पत्रक में द्वितीय मूल्यांकनकर्ता के रूप में डॉ. हरलीन रूपरा के हस्ताक्षर हैं।

3. प्रतिवेदन के कंडिका-6 में समन्वयक ने उल्लेख किया है कि पुनर्मूल्यांकन में सहयोग के लिये विश्वविद्यालय ने जबलपुर में डॉ. शिवानी बसु को सहायक समन्वयक नियुक्त किया था। तथा उनके द्वारा समय-समय पर परीक्षकों को बुलाकर उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु वितरित किया जाता था। इसी प्रकार मूल्यांकन पश्चात् मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा फाइल/काउण्टर फाइल एवं मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका सहायक समन्वयक को वापस किया जाता था।

4. प्रतिवेदन के कंडिका-4 में समन्वयक ने जानकारी दी है कि उन्होंने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान बी.काम. भाग-2 हिन्दी भाषा आधार पाठ्यक्रम पैकेट नं. JD 44 को पैनल मूल्यांकन हेतु डॉ. सपना श्रीवास्तव को प्रदान किया था, जिसे डॉ. सपना श्रीवास्तव ने अपने महाविद्यालय में ले जाकर मूल्यांकन कार्य सम्पादित कराया। समन्वयक ने जानकारी दी है कि पैनल मूल्यांकन हेतु उत्तर-पुस्तिका देते समय प्राध्यापकों से आग्रह किया जाता है कि विश्वविद्यालय नियमानुसार दो अन्य प्राध्यापकों के साथ मिलकर उत्तर-पुस्तिका का एक साथ मूल्यांकन करें। प्रतिवेदन के कंडिका-5 में उन्होंने उल्लेखित किया है कि डॉ. पूनम शर्मा को मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका डॉ. सपना श्रीवास्तव द्वारा प्रदान किया गया होगा।

प्रथम दृष्टया डॉ. पूनम शर्मा को उत्तर पुस्तिका समन्वयक द्वारा प्रदान किया जाना प्रतीत नहीं हो रहा है।

बी.काम. भाग-2 अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम पैकेट नं. व्ही.एन.47 पुनर्मूल्यांकन के द्वितीय मूल्यांकनकर्ता के नाम पर विरांगति है।

समन्वयक द्वारा संधारित रजिस्टर के पृष्ठ क्रमांक 34 के अनुसार द्वितीय मूल्यांकनकर्ता का नाम डॉ. गुरप्रीत दुआ दर्ज है। समन्वयक ने भी डॉ. गुरप्रीत दुआ के द्वारा द्वितीय मूल्यांकन किये जाने की पुष्टि की है। परन्तु गोपनीय विभाग द्वारा समिति को उपलब्ध कराये गये मूल्यांकन प्रपत्र में द्वितीय मूल्यांकनकर्ता के रूप में डॉ. हरलीन

Bahmani

abuph


Alamin


रूपरा का नाम दर्ज है तथा हस्ताक्षर है। उल्लेखनीय है कि डॉ. हरलीन रूपरा ने अपने प्रतिवेदन में उपरोक्त मूल्यांकन कार्य किये जाने से इंकार किया है।


उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा निम्नलिखित निष्कर्षों का आंकलन किया जाता है।

1. समन्वयक द्वारा पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका यदि सहायक समन्वयक के माध्यम से अन्य मूल्यांकनकर्ताओं को वितरित किया जाता था, तो उसका विस्तृत विवरण कार्योपरांत सहायक समन्वयक से लेना चाहिये था।
2. समन्वयक पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन ने यदि स्वयं उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षकों को अपनायी गई मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा वितरित की है तो उत्तर पुस्तिकाओं को वापस लेते समय भी उन्हीं परीक्षकों से अंकों के फाईल और काउन्टर फाईल (मूल्यांकन प्रपत्र) प्राप्त करना चाहिए था।
3. समन्वयक के रजिस्टर में मूल्यांकनकर्ता डॉ. गुरप्रीत दुआ हैं तथा रजिस्टर की छायाप्रति में डॉ. गुरप्रीत दुआ के नाम वाले खण्ड को कास किया हुआ दिख रहा है, जबकि उनके ही द्वारा गोपनीय विभाग को प्रदत्त मूल्यांकन प्रपत्र में मूल्यांकनकर्ता में डॉ. हरलीन रूपरा का नाम लिखा हुआ है, तदनुसार डॉ. गुरप्रीत दुआ को मूल्यांकन हेतु प्रदान की गयी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन प्रपत्र डॉ. हरलीन रूपरा के नाम से वापस प्राप्त हुई है। गोपनीय विभाग को मूल्यांकन प्रपत्र सौंपने के पूर्व समन्वयक के स्तर पर इसका मिलान किया जाना चाहिये था, जो कि प्रथम दृष्टया नहीं किया हुआ प्रतीत होता है।
4. बी.काम. भाग-2 अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम वी.एन.47 के द्वितीय मूल्यांकन का कार्य डॉ. गुरप्रीत दुआ के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि मूल्यांकन प्रपत्र के अनुसार डॉ. हरलीन रूपरा का नाम दर्ज है। उल्लेखनीय है कि डॉ. हरलीन रूपरा ने उपरोक्त मूल्यांकन कार्य से इंकार किया है, अतः द्वितीय मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया है यह उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता।
5. बी.काम. भाग-2 हिन्दी भाषा आधार पाठ्यक्रम पैनल मूल्यांकन जे.डी. 44 के तृतीय मूल्यांकनकर्ता डॉ. पूनम शर्मा ने मूल्यांकन कार्य से इंकार किया है, अतः माना जा सकता है कि इनके द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उक्त पैनल मूल्यांकन में तृतीय मूल्यांकनकर्ता का नाम निश्चित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन में लापरवाही प्रतीत होती है।


डॉ. बी. एस. ठाकुर


डॉ. ए. के. श्रीवास्तव


डॉ. ए. के. श्रीवास्तव

(31) ○

विधिक अभिमत


विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल - 2016 के पुनर्मूल्यांकन एवं पैनल मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ताओं से प्राप्त हुए पत्रों , पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के गोपनीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों , देयकों के अवलोकन के उपरांत मेरा अभिमत यह है कि :-

1. डॉ.(श्रीमती) पूनम शर्मा, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, प्राचार्य, माता गुजरी (स्वशासी) महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) (पैनल मूल्यांकनकर्ता हिन्दी भाषा आ.पा.) के द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.03.17 के माध्यम से मूल्यांकन कार्य किया जाना अस्वीकार किया है। जबकि विश्वविद्यालय के द्वारा मूल्यांकन हेतु प्रदान किये गये देयक पत्रक में मूल्यांकनकर्ता के रूप में डॉ. पूनम शर्मा के नाम पर राशि प्राप्त कर अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किया जाना प्रतीत होता है। अर्थात् मूल्यांकन राशि डॉ. पूनम शर्मा के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई है।
2. डॉ. पूनम शर्मा के पत्र दिनांक 28.03.17 में उनके द्वारा किये गये स्वीकृत हस्ताक्षर एवं देयक पत्रक में अंकित हस्ताक्षर प्रथम दृष्टया एक समान प्रतीत नहीं होते हैं। अतः यह संभावना प्रबल है कि - डॉ. पूनम शर्मा के मिथ्या हस्ताक्षर देयक पत्रक में कर मूल्यांकन की राशि अन्य व्यक्ति को प्रदाय की गई है। जो कि आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के द्वारा देयक पत्रक में हस्ताक्षर प्राप्त कर राशि का भुगतान प्राप्त किया गया है उसके द्वारा विश्वविद्यालय के साथ छल कपट , विश्वास भंग का कृत्य कारित किया जाना प्रतीत होता है।
3. डॉ. हरलिन रूपरा, शिक्षक, माता गुजरी (स्वशासी) महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) मूल्यांकनकर्ता अंग्रेजी भाषा आधार पाठ्यक्रम , के द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.03.2017 के माध्यम से मूल्यांकन कार्य किया जाना अस्वीकार किया है। जबकि मूल्यांकन हेतु देयक पत्रक में इनके हस्ताक्षर कर मूल्यांकन की राशि अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गयी प्रतीत होती है चूंकि दोनों हस्ताक्षरों में प्रथम दृष्टया भिन्नता परिलक्षित होती है।

अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए डॉ. पूनम शर्मा के पत्र दिनांक 28.03.2017 एवं डॉ. हरलिन रूपरा के पत्र दिनांक 28.03.17 में अंकित उनके हस्ताक्षर का मिलान देयक पत्रक में अंकित हस्ताक्षर से कराये जाने हेतु हस्तलिपि विशेषज्ञ का अभिमत लिया जा सकता है, ताकि वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सके।

तत्पश्चात संबंधित मूल्यांकन समन्वयक, जिनके मार्गदर्शन में मूल्यांकन का कार्य सम्पादित हुआ था, उनके द्वारा विश्वविद्यालय से छल-कपट, विश्वास भंग किये जाने के साथ ही आर्थिक अपराध किये जाने की संभावना प्रबल होती है। जिसके संबंध में, संबंधित के विरुद्ध अपराध की सूचना दर्ज कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

22 (Admin)
21/6/17


Neeraj Choubey (Advocate)
Office-Mahamaya Vihar Colony,
Ware Hose Road, Bilaspur (C.G.)
MB. 9893407057

प्रति,

32

कुलसचिव,

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

रायपुर (छ.ग.)

आ. 2. 250011
PM
1-6-17

विषय:- बी. कॉम एवं एम. कॉम. की अंकसूची को सरेडर करने बाबत!

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं टाकेश्वर प्रसाद वर्मा पिता श्री

चिन्ताराम वर्मा, माता-श्रीमती पार्वती वर्मा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से

(1) बी. कॉम प्रथम वर्ष रोल नं. 7514 सत्र-2001 में उत्तीर्ण किया।

(2) बी. कॉम द्वितीय वर्ष रोल नं. 023011 सत्र-2002 में उत्तीर्ण किया।

(3) बी. कॉम तृतीय वर्ष रोल नं. 306005 सत्र-2003 में उत्तीर्ण किया।

(4) एम. कॉम पूर्व रोल नं. 5700208 सत्र-2004 में उत्तीर्ण किया।

(5) एम. कॉम अंतिम वर्ष रोल नं. 5800131 सत्र 2005 में उत्तीर्ण किया।

बी. कॉम (I, II, III) वर्ष की परीक्षा नियमित छात्र के रूप में 'ओम श्री साईंनाथ कॉलेज परसतराई (धारसीवा) से उत्तीर्ण किया एवं एम. कॉम (पूर्व, अंतिम) वर्ष की परीक्षा स्वाध्यायी छात्र के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया।

चूंकि मैंने 12वीं की परीक्षा (विज्ञान संकाय) से सत्र-1999 में उत्तीर्ण किया

और वर्तमान में शिक्षाविभाग में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर वर्ष 2005 से

शासकीय प्राथमिक शाला देकुना, विकसखंड-सिमगा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा में

कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिमगा द्वारा वर्ष

2005 में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत हुआ है। अतः मैंने योग्यता सुधार हेतु अपने

विभागीय कार्यालय विकासखंड शिक्षाधिकारी एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति लेकर मैट्रिक विश्वविद्यालय मुक्त एवं दूसरी

शिक्षा कार्यक्रम रायपुर (छ.ग.) से बी. एस. सी. अंतिम वर्ष (जीवविज्ञान समूह) से सत्र-2015

में उत्तीर्ण किया।

अतः महोदय से निवेदन है कि मैंने बी. कॉम (I, II, III) वर्ष एवं एम. कॉम

(पूर्व, अंतिम) वर्ष की योग्यता को सरेडर करने की कृपा करें।

संदर्भसूची:-

- (1) बी. कॉम (I, II, III) वर्ष की मूल अंकसूची
- (2) एम. कॉम (पूर्व, अंतिम) वर्ष की मूल अंकसूची

Prasanna
प्राणी

टाकेश्वर प्रसाद वर्मा

मो. नं. 9575700102

पता- ग्राम-भूमियाँ, पो. मा. सरोरा

पंचायत-नेवरा, तखील-तखील

जिला-रायपुर (छ.ग.)-493114



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय:- विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त किये जा रहे पारिश्रमिक से संबंधित अतिरिक्त भुगतान संबंधी आदेशों को निरस्त करने बाबत।

विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के परिप्रेक्ष्य में जो अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा रहा है, उनसे संबंधित आदेश संलग्न है।

कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रत्येक माह किये जा रहे कार्यों के एवज में नियमित रूप से शासन द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते भुगतान किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसी शाखा में, शाखा से संबंधित ही कार्यों को करने बाबत अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है एवं इससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा जारी आदेशों को, निरस्त करने हेतु, विचार किये जाने बाबत प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

28. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के परिसर में वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलाधिकारी, अनुसंधान/विस्तार (सावा), वनमण्डल, रायपुर द्वारा 1170 रनिंग मीटर वृक्षारोपण के लिए कुल लागत रु. 6.40 लाख व्यय का अनुमान पर विचार करना ।

निर्णय : नगर के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण हेतु वन मण्डलाधिकारी, अनुसंधान/विस्तार (सावा), वन मण्डल, रायपुर का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इस हेतु रु. 6.40 लाख (प्रथम वर्ष के लिए रु. 2.90 लाख, दूसरे वर्ष के लिए 1.80 लाख एवं तीसरे वर्ष के लिए रु. 1.70 लाख) का व्यय स्वीकृत किया गया।

29. 'इण्डो-चाइना एलायन्स सेन्टर' के तत्वावधान में शैक्षणिक भ्रमण दल, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का भ्रमण निरस्त होने के फलस्वरूप निरस्तीकृत व्यय रु. 2,42,770/- की स्वीकृति पर विचार करना ।

निर्णय : उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 45/30 दि. 10/5/2007 दिनांक 14/5/2007 के परिप्रेक्ष्य में शासन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति होने की प्रत्याशा में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। किसी कारणवश भ्रमण-दल नहीं जा सका। संबंधित एजेन्सी ने निरस्तीकरण व्यय रु. 2,42,770/- की मांग की है। चूंकि यह कार्य शासन से व्यय प्रतिपूर्ति होने की प्रत्याशा में अनुमोदन किया गया था, अतः निरस्तीकरण व्यय राशि रु. 2,42,770/- की प्रतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र लिखा जावे।

30. वर्ष 2006 कम्प्यूटरीकृत उपाधियों के जाँचकर्ता के रूप में कार्य सहायकों को अधिकृत किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय : कम्प्यूटरीकृत उपाधि की जाँच शिक्षकों द्वारा की जाएगी, इस हेतु रु. 2.00 प्रति उपाधि पारिश्रमिक निर्धारित किया गया ।

31. कर्मचारियों के विभिन्न कार्यों के पारिश्रमिक की दर में वृद्धि किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

क्र.	देयक विवरण	वर्तमान दर (प्रति छात्र)	प्रस्तावित दर
1.	गणक पत्र लेखन	0.25	0.50
2.	गणक पत्र जाँच	0.15	0.30
3.	अंकसूची लेखन	0.35	0.70
4.	अंकसूची जाँच	0.25	0.50
5.	परीक्षा आवेदन पत्र जाँच	0.35	0.70
6.	कम्प्यूटर रोल लिस्ट जाँच	0.35	0.70
7.	उपाधि लेखन (दोनों भाषा में)	1.50	3.00
8.	उपाधि जाँच (प्रत्येक जाँचकर्ता)	0.35	1.00
9.	नामांकन प्रपत्रों की जाँच	0.30	0.60
10.	अंकसूची हस्ताक्षर	0.10	0.50
11.	परीक्षा शुल्क प्रमाणीकरण (लेखन एवं जाँच)	0.60	1.00
12.	चतुर्थ श्रेणी @45/- प्रति हजार आवेदनपत्र	0.45	1.00

निर्णय : उपर्युक्त कार्यों का प्रस्तावित पारिश्रमिक दर अनुमोदित किया गया ।

32. प्राचार्य पद पर परिनियम 28 के तहत नियुक्ति हेतु चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय : (1) चयन समिति ने एम.जे. कॉलेज, भिलाई, दिशा कॉलेज, न्यूशांति नगर, रायपुर, सर्वहितकारिणी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, कुकदा, पलारी एवं भिलाई नायर समाजम महाविद्यालय, भिलाई में परिनियम-28 के तहत प्राचार्य पद हेतु योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने के कारण नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की, अतः महाविद्यालयों को प्राचार्य पद को पुनः विज्ञापित करने हेतु निर्देश देने का निर्णय लिया गया ।

Cen. D

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ४९१००४

// आदेश //

क्रमांक ~~2260~~ परीक्षा/०५.

रायपुर, दिनांक 23 मई 1995

इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक ~~1422~~ नामांक 0/93, दिनांक 27/5/93 के अन्तर्गत में विश्वविद्यालय से "अविलम्ब शुल्क" (No Delay Fees) 25/- रु के साथ प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate), अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र (Provisinal Certificate) एवं अंशुवी की द्वितीय प्रति (Duplicate MarkSheet) के लिए आवेदकों के आवेदन पत्रों पर दिनांक 1-12-1994 से संश्लिप्त कर्मचारियों / अध्यापकों को त्वारत कार्रवाई करने के फलस्वरूप निम्नानुसार पारिशुल्क स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	प्रमाण पत्र	कार्य सहायक ललापक	जाकर्ता अधीक्षक/अधीक्षक अधिकारी	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी	मूल्य
1.	प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate)	2/- रु प्रति	✓-रु प्रति	✓-रु प्रति	0.50 रुपये प्रति
2.	अस्थायी उपाधि प्रमाण पत्र (Provisinal Degree Certificate)	2/- रु	✓-रु	✓-रु	0.50
3.	अंशुवी की द्वितीय प्रति (Duplicate Marksheet)	2/- रु	✓-रु	✓-रु	0.50
4.	द्वितीय प्रति प्रमाण पत्र (Duplicate Certificate)	2/- रु	✓-रु	✓-रु	0.50 रुपये
5.	जांच शुल्क (Verification fees)	1/- रु प्रति आवेदन -	-	-	0.50

टिप:-

- § 18 माईग्रेशन साटीफिकेट एवं प्रोविजनल साटीफिकेट वाले जिन आवेदकों का आवेदन के साथ सभी परीक्षाओं/प्रयासों का अंशुवी की अंशुवी प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त सभी परीक्षाओं की अंशुवी की प्रति उनके पास होनी चाहिए। उक्त परीक्षाओं के लिए 10/- रु प्रति परीक्षा जांच शुल्क (Verification fees) पूर्व की भांति जमा करके अभिलेखागार से सत्यापन कराकर परतुरी करनी होगी।
- § 28 उ कजे के बाद शुल्क जमा न कराए जाये, विशेष फॉरम भरनी -
- § 38 प्रव्रजन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति एवं अंशुवी की द्वितीय प्रति उपर्युक्त कार्य सहायक कुलसचिव/परीक्षा के आदेश पर प्रदान किया जाएगा।

30

प्रत्याशी के अर्पण पत्र अन्य के द्वारा प्रस्तुत करने को परीक्षा केंद्र का अधिकार को सिंग कराना आवश्यक होगा

कुलसचिव के आदेशानुसार

(Signature)

पद्मभूषण त्रिवेदी
कुलसचिव

(Signature)

रायपुर, दिनांक 23

पृष्ठांकन क्र० 226/परोक्षा/95

प्रतिलिपि:

- 1. समस्त विभागों/उपविभागों को
- 2. कुलसचिव के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक
- 3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण मंडल
- 4. रेसीडेंट आडिट विभाग
- 5. विश्वविद्यालय का उपकार्यालय, जगदलपुर
- 6. स्वागत कक्ष
- 7. सूचना पटल

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनाई पटल पोस्टवाह को

(Signature)

सहायक कुलसचिव (परोक्षा)

(Signature)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

- अधिसूचना -

37

क्रमांक - 1031/मौप./2012/

रायपुर दिनांक 13/05/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 मई, 2012 के प्रक सूची के विषय क्रमांक-3 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा गठित उडन दस्ता के सदस्यों को निम्नानुसार पारिश्रमिक देय होगा -

1. उडनदस्ता के सदस्यों को प्रति केन्द्र/प्रति पाली रु. 100/-
2. तीन या अधिक परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण हेतु रु. 275/-
3. शहर के बाहर के महाविद्यालयों में निरीक्षण हेतु दैनिक भत्ता राज्य शासन के नियम के तहत देय होगा

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि - (2)

1. कुलपति के सचिव, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर
2. कुलसचिव के मिजी सहा., पं. र. शु. वि. वि., रायपुर.
3. वित्त नियंत्रक, पं. र. शु. वि. वि., रायपुर को सूचनाार्थ


उप कुलसचिव (मौप.)



क्रमांक 7543/अका./2012

रायपुर, दिनांक 07/06/2012


॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 मई 2012 (कार्यवृत्त क्रमांक 7490/अका./2012 दिनांक 01.06.2012) में अध्यक्ष के अनुमति से विषय क्रमांक 4 पर लिये गये निर्णय के परिपालन में मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा अधिसूचित मूल्यांकन केन्द्रों में कार्यरत समन्वयक एवं अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक निम्नानुसार निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान किया गया है -

समन्वयक	-	250.00
सह-समन्वयक	-	200.00
लिपिक वर्ग	-	30.00
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	60.00

पारिश्रमिक वृद्धि वार्षिक परीक्षा 2012 से प्रभावशील होगी।


कार्यपरिषद् के आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक 7544/अका./2012
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/06/2012

1. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
3. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ प्रमारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/ समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सहायक कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय , रायपुर (छ.ग.)

- : : अधिसूचना : : -

क्रमांक / 1145 / गोप. / 2012

रायपुर, दिनांक 04/08/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11 जुलाई 2012 (कार्यवृत्त क्रमांक 7854/अका. /2012, दिनांक 23.07.2012) में विषय क्रमांक 04 पर लिये गये निर्णय के परिपालन में गोपनीय विभाग में परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में वृद्धि निम्नानुसार निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

क	विवरण	अनुमोदित दर
1.	पुनर्मूल्यांकन अ- समन्वयक ब- सहा. समन्वयक स- कार्यालय सहा. (लिपिक) द- चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	250-00 200-00 80-00 60-00
2.	संग्रहण केन्द्र (महाविद्यालय के लिए) अ- संग्रहण प्रभारी ब- लिपिक स- चतुर्थ वर्ग	125-00 50-00 40-00
3.	प्रश्नपत्र वितरण कार्य (गोपनीय विभाग) अ- समन्वयक (तीनों पाली हेतु) ब- सहा. समन्वयक (प्रति पाली हेतु) स- लिपिक (तीनों पाली हेतु) द- चतुर्थ वर्ग	250-00 75-00 65-00 45-00
4.	पुनर्मूल्यांकन कार्य (गोपनीय) अ- तृतीय वर्ग कर्मचारी ब- चतुर्थ वर्ग कर्मचारी स- कम्प्यूटर के माध्यम से रोल लिस्ट तैयार करने पर द- उत्तरपुस्तिका कोड-डी.कोड.	05-00 प्रति उ.पु. 01.50-00 प्रति उ.पु. 00-50 प्रति उ.पु. 00-25 प्रति उ.पु.



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/7854/अका./2012

रायपुर, दिनांक 23/07/2012

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार, दिनांक 11 जुलाई, 2012 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

1. डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. (श्रीमती)आभा रूपेन्द्रपाल	-	सदस्य
3. प्रो.(श्रीमती) सीता वेणुगोपाल	-	सदस्य
4. प्रो. व्यासनारायण दुबे	-	सदस्य
5. प्रो. ए.के. शर्मा	-	सदस्य
6. प्रो. बी.के. शर्मा	-	सदस्य
7. प्रो. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
8. डॉ. दीपक कारकून	-	सदस्य
9. डॉ. अरविंद गिरोलकर	-	सदस्य
10. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	-	सदस्य
11. डॉ. एम.आई. मेमन	-	सदस्य
12. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियम	-	सदस्य
13. श्री एस.के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
14. डॉ. जी.डी. गुप्ता	-	सदस्य
15. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
16. श्री अशोक लोहिया	-	सदस्य
17. डॉ. उज्ज्वल पाटनी	-	सदस्य
18. डॉ. रवि भोई	-	सदस्य
19. श्री देवजी भाई पटेल	-	सदस्य
20. श्री रामजी भारती	-	सदस्य
21. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

कार्यवृत्त :

विषय क्रमांक-1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.05.2012 के कार्यवृत्त को समुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.05. 2012 के कार्यवृत्त की समुष्टि प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग में परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : गोपनीय विभाग में परीक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित पारिश्रमिक में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जो निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	अनुमोदित दर
1.	पुनर्मुल्यांकन इकाई : अ. सामन्वयक ब. सहा. सामन्वयक स. कार्यालय सहा. (लिपिक) द. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी	250-00 200-00 080-00 060-00
2.	संग्रहण केंद्र (महाविद्यालय के लिए) अ. संग्रहण प्रमाणी ब. लिपिक स. चतुर्थ वर्ग	125-00 050-00 040-00
3.	प्रश्नपत्र विवरण कार्य (महाविद्यालय के लिए) : अ. सामन्वयक (तीनों पाली हेतु) ब. सहा. सामन्वयक (प्रति पाली हेतु) स. लिपिक (तीनों पाली हेतु) द. चतुर्थ वर्ग	250-00 075-00 065-00 045-00
4.	पुनर्मुल्यांकन कार्य (गोपनीय विभाग) अ. तृतीय वर्ग कर्मचारी ब. चतुर्थ वर्ग कर्मचारी स. कम्प्यूटर के माध्यम से रोल लिस्ट तैयार करने पर द. उत्तरपुरितका कोड-डी कोड	005-00 (प्र.उ.पु.) 001-50 (प्र.उ.पु.) 000-50 (प्र.उ.पु.) 000-25 (प्र.उ.पु.)
5.	रोके गये परिणाम अ. टी.ओ.र. त्रुटि सुधार (अधिकारी वर्ग) ब. परीक्षाफल तैयार करवाना (तृतीय वर्ग) स. परिणाम टंकण कार्य (तृतीय वर्ग) द. परीक्षा परिणाम की जाँच करवाना (दो) (प्रति कर्मचारी) ई. अंक दूहना एवं चार्ट में रखना (चतुर्थ व.)	002-00 000-30 000-80 000-30 000-30
6.	आदेशानुसार प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य : अ. प्रश्नपत्र रचना को कम्प्यूटर द्वारा तैयार करना (प्रति कोड) ब. प्रूफ रीडिंग (प्रति कोड) स. पैकिंग एवं अन्य कार्य (प्रति कोड)	100-00 100-00 050-00
7.	जोड़िया भत्ता (प्रश्नपत्र एवं प्राप्तांकों को पहचानने हेतु): अ. तृतीय वर्ग ब. चतुर्थ वर्ग	060-00 040-00
8.	पुनर्गणना कार्य : शिवाफ/अधिकारी वर्ग (प्रति उ.पु.)	002-00
9.	परीक्षा कार्य हेतु वि.वि. द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक: अ. प्रतिपाली ब. अधिकतम	100-00 250-00

(Handwritten Signature)



माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय :- विश्वविद्यालय परिसर स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर के भली-भांति संचालन हेतु प्रस्तुत विनियम में विधिक अभिमत के पश्चात अनुशंसा के संबंध में विचार करने बाबत्।

विश्वविद्यालय की माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 07.07.2017 के विषय क्रमांक 20 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर के भली-भांति संचालन हेतु ट्रस्ट समिति का गठन किये जाने एवं ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत विनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए विधिक अभिमत हेतु प्रेषित किया गया था।

अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय के द्वारा माँ बंजारी देवी मंदिर के भली-भांति संचालन हेतु प्रस्तुत न्यास विलेख एवं नियमावली (ट्रस्ट डीड एवं बायलाज) का परीक्षण कर, आवश्यक परिशीलन किया गया एवं विधि अनुरूप होने की सहमति प्रदान की गई है।

अतः इस संबंध में विधिक अभिमत पश्चात, संशोधित न्यास विलेख एवं नियमावली को माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

43

प्रारूप ३

नियम ४ (२)

ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

पंजीयक,

जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

लोक न्यास के मामले में न्यास का पूरा नाम और पता—माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, जिला रायपुर - ४९२०१० छत्तीसगढ़, होगा।

१. मैं/हम, माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़-४९२०१० उपरोक्त वर्णित न्यास के न्यासी/न्यासीगण, एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, १९७१ (१९७१ का ३०) की धारा ४ के अंतर्गत, कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।

२. मैं/हम निम्नलिखित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करते हैं -

१. न्यास का पूरा नाम एवं पता, लोक न्यास का उद्गम, प्रकृति और उद्देश्य-

न्यास का नाम और पता, माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ ४९२०१०, होगा।

लोक न्यास का उद्गम: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक मंगलवार दिनांक ४.१०.२००५ के कार्य वृत्त विषय क्रमांक ६ के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माँ बंजारी देवी मंदिर के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्माण कर मंदिर का संचालन किया जावे।

प्रकृति और उद्देश्य: यह की माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति का निर्माण, मंदिर परिसर के रख रखाव एवं विकास हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आबंटित भूमि पर पूर्ण स्वामित्व पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का होगा।

अ. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माँ बंजारी मंदिर, विश्वविद्यालय के स्थापना के पूर्व से स्थापित है, तब से अब तक स्थानीय लोगों की आस्था मंदिर के साथ जुड़ी हुई होने के कारण मंदिर आने वाले श्रदालुओं हेतु नियमित पूजा-अर्चना एवं सामाजिक गतिविधियों की सुव्यवस्था करते हुए मंदिर का उचित प्रबंधन करना।

ब. माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर में स्थित समस्त मंदिरों एवं भवनों के भूमि तथा चल-अचल संपत्ति की व्यवस्था करना।

स. मंदिर के संचालन के लिए नियमित चंदा, नैमित्तिक दान, भेट आदि स्वीकार करना।

द. मंदिर परिसर एवं आसपास में पर्यावरणीय विकास एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सहयोग से माँ बंजारी देवी के प्रति जनसामान्य की आस्था सुनिश्चित करने हेतु धार्मिक आयोजन का संचालन करना।

इ. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सहयोग से माँ बंजारी देवी के प्रति जनसामान्य की आस्था को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न आयोजनों का संचालन करना।

२. वह स्थान जहाँ लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान स्थित है—माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर, ४९२०१०, छत्तीसगढ़

३. कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम, पते सहित-इस ट्रस्ट समिति के कार्यकारी सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे।

ii. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के रेक्टर/विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत एक सदस्य।

vi. सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या छह (6) होगी. इसमें दो (2) सदस्य शिक्षक समुदाय से, दो (2) सदस्य कर्मचारी समुदाय से एवं दो (2) सदस्य वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी. उपरोक्त छह (06) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा.

4. न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति- इस ट्रस्ट समिति के पदेन सदस्यों का कार्यकाल, पद के कारण, निश्चित अवधि का नहीं होगा. परन्तु सभी मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से तीन (3) साल का होगा. मनोनीत सदस्य के स्थान रिक्त होने की स्थिति में उपरोक्त नियमानुसार उसी वर्ग से पूर्ति की जावेगी.
5. न्यास सृजित करने वाले दस्तावेजों के ब्यौरे (प्रतिलिपियाँ संलग्न) -
6. न्यास के सम्बन्ध में यदि कोई स्कीम हों, तो उसके ब्यौरे (प्रतिलिपियाँ संलग्न) -
7. चल संपत्ति, ऐसी संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के प्राक्कलित मूल्य के साथ टिप्पणी
8. (क) अचल संपत्ति के ब्यौरे ग्राम या कस्बा जहाँ यह अवस्थित है, दर्शित करते हुए नगर पालिका या भूमि या खसरा क्रमांक निर्धारण और अवधि के विवरण समेत जिस पर धारित हो (संपत्तियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिलेख या नगर पालिका अभिलेख की प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न)
(ख) विशेषज्ञ की मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा संलग्न प्रत्येक अचल संपत्ति का प्राक्कलित मूल्य
9. न्यास के आय के श्रोत-
 - i. नियमित चंदा
 - ii. नैमित्तिक दान
 - iii. भेट
 - iv. विश्वविद्यालय का सहयोग
10. औसत सकल वार्षिक आय
11. औसत वार्षिक व्यय-
 - i. न्यासियों और प्रबंधक के बैठकों पर
 - ii. स्थापना और कर्मचारी वृन्द पर
 - iii. धार्मिक उद्देश्य पर
 - iv. पुर्त उद्देश्यों पर
 - v. विविध मदों पर
 - vi. पूजा अर्चना हेतु एक पंडित एवं अन्य कर्मचारियों को प्रति माह दिए जाने वाले निर्धारित मानदेय
12. न्यास संपत्ति के विल्लंगम के ब्यौरे, यदि कोई हो
13. न्यास संपत्ति से सम्बंधित हक-विलेखों के ब्यौरे और इनके अधिपत्य में होने वाले न्यासियों के नाम संलग्नित
14. वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट

3.

4.

5. टिप्पणी, यदि कोई हो रुपये _____ शुल्क संलग्न है

6. न्यासी अथवा प्रबंधक को न्यास के सम्बन्ध में कोई भी स.सूचना निम्नानुसार पते पर भेजी जा सकती है

7. नाम

पता

मैं/हम घोषित करते हैं की उपरोक्त वर्णित न्यास के सम्बन्ध में पूर्व में कोई आवेदन किसी अन्य पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आवेदक/आवेदक गण के हस्ताक्षर

45

सत्यापन

प्रमाणित किया गया है की पद ----- की अंतर्वस्तु मेरे/ हमारे निजी ज्ञान से सत्य है और पद
----- की अंतर्वस्तु प्राप्त और सत्य होने का विश्वास की गयी जानकारी पर आधारित होने से सत्य है.

दिनांक ____ २०१७ को रायपुर में हस्ताक्षरित किया गया

आवेदक/आवेदक गण के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर	नाम	पता
१.		
२.		
३.		
४.		
५.		
६.		
७.		
८.		
९.		
१०.		
११.		

44 (45)

न्यास विलेख (Trust deed)

माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति,

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ४९२०१० छत्तीसगढ़

प्रस्तावना: परिसर में स्थित माँ बंजारी मंदिर विश्वविद्यालय के स्थापना के पूर्व से ही स्थापित है। तब से अब तक स्थानीय लोगों के आस्था मंदिर के साथ जुड़ी हुई है तथा श्रद्धालु उक्त मंदिर में आकर नियमित पूजा-अर्चना एवं अन्य सामाजिक गतिविधियां करते हैं। चूंकि यह मंदिर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। अतः स्थानीय श्रद्धालुओं के भावना के अनुरूप उक्त मंदिर के उचित प्रबंधन किये जाने हेतु इस ट्रस्ट का गठन किया गया है।

१. नाम एवं पता

अ. नाम: इस सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति होगा।

ब. कार्यालय: इसका स्थायी कार्यालय माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर होगा।

स. स्थायी पता: माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर ४९२०१० छत्तीसगढ़ होगा।

२. कार्य एवं उद्देश्य

अ. विश्वविद्यालय परिसर में स्थित माँ बंजारी मंदिर, विश्वविद्यालय के स्थापना के पूर्व से स्थापित है, तब से अब तक स्थानीय लोगों की आस्था मंदिर के साथ जुड़ी हुई होने के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं हेतु नियमित पूजा-अर्चना एवं सामाजिक गतिविधियों की सुव्यवस्था करते हुए मंदिर का उचित प्रबंधन करना।

ब. माँ बंजारी देवी मंदिर परिसर में स्थित समस्त मंदिरों एवं भवनों के भूमि तथा चल अचल संपत्ति की व्यवस्था करना।

स. मंदिर के संचालन के लिए नियमित चंदा, नैमित्तिक दान, भेट आदि स्वीकार करना।

द. मंदिर परिसर एवं आसपास में पर्यावरणीय विकास एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।

इ. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सहयोग से माँ बंजारी देवी के प्रति जनसामान्य की आस्था को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न आयोजनों का संचालन करना।

३. सदस्यता

अ. यह न्यासी समिति माँ बंजारी देवी मंदिर न्यास की स्थायी संरक्षक समिति के रूप में कार्य करेगी।

ब. न्यासी समिति के चार (०४) सदस्य पदेन एवं सात (०७) सदस्य नामांकित होंगे।

स. न्यास समिति के सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

i. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे

ii. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के रेक्टर या विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य,

iii. सचिव, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ट्रस्ट के पदेन सचिव होंगे

iv. सह-सचिव, विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) पदेन सह-सचिव होंगे

v. कोषाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पदेन कोषाध्यक्ष होंगे

- vi. सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या (६) होगी. इसमें दो (२) सदस्य शिक्षक समुदाय से, दो (२) सदस्य कर्मचारी समुदाय से एवं दो (२) सदस्य वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी. उपरोक्त छह (०६) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा.
- vii. सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े ०३ सदस्यों को भी न्यास समिति द्वारा सहमति होने पर शामिल किया जा सकेगा.

4. कार्य अवधि

पदेन सदस्य अपने पद पर रहते हुए कार्य करेंगे, जबकि नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन (०३) वर्ष का होगा. न्यासी समिति में जिस वर्ग से न्यासी का स्थान रिक्त होगा उसी वर्ग से नियमानुसार स्थान की पूर्ति की जावेगी.

5. न्यासी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति-

निम्नलिखित कारणों से न्यासी समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी:

१. पदेन सदस्य के उस पद पर ना रहने के कारण;
२. सदस्यता से त्यागपत्र देने पर;
३. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर;
४. सजा याफता या पागल हो जाने पर;
५. न्यास के हित के विरुद्ध क्रियाकलाप के कारण, न्यास समिति द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, उस सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी.

५ (अ) पूजा अर्चना हेतु पुजारी की नियुक्ति

मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा अर्चना हेतु एक पुजारी एवं मंदिर की व्यवस्था हेतु अन्य कर्मचारी की नियुक्ति न्यास समिति द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार की जावेगी एवं उन्हें प्रत्येक माह दिए जाने वाले मानदेय एवं कार्य का निर्धारण भी किया जावेगा।

६. प्रबंध कारिणी समिति एवं इसका निर्माण

माँ बंजारी देवी न्यास के संचालन और उत्तरदायित्व के समस्त अधिकार न्यासी समिति में निहित होंगे. व्यवस्था एवं संचालन हेतु प्रबंध कारिणी समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा -

न्यास समिति के सदस्यों की कुल संख्या न्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

१. अध्यक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे
२. उपाध्यक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रेक्टर/विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य
३. सचिव: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ट्रस्ट के पदेन सचिव होंगे
४. सह-सचिव: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) पदेन सह-सचिव होंगे.
५. कोषाध्यक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पदेन कोषाध्यक्ष होंगे

48

६. सदस्य: सदस्यों की कुल संख्या (६) होगी. इसमें दो (२) सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शिक्षक समुदाय से, दो (२) सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी समुदाय से एवं दो (२) सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी. उपरोक्त छह (०६) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा.

७. प्रबंध कारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य (कार्य)

१. वित्तीय वर्ष के आधार पर, वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना
 २. चल-अचल संपत्ति का अर्जन, निर्माण, विनियोजन एवं परिवर्तन आदि करना
 ३. समस्त वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति न्यासी समिति से प्राप्त करना
 ४. माँ बंजारी देवी की पूजा एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सहयोग प्राप्त करना (वर्तमान में आबंटित भूमि एवं भविष्य में विकास हेतु प्राप्त की जाने वाली भूमि का स्वामित्व विश्वविद्यालय का होगा)
 ५. दान, भेट, चंदा इत्यादि से राशि प्राप्त करना
 ६. माँ बंजारी देवी मंदिर के हित में आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लेना. इस हेतु प्रत्येक तीन माह में न्यासी समिति की बैठक का आयोजन करना
 ७. समस्त वैधानिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखा संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लेना तथा कार्यों का संपादन करना
- कोरम : प्रबंध कारिणी समिति का कोरम छह (०६) सदस्यों के उपस्थिति में पूर्ण होगा. गणपूर्ति के अभाव में बैठक एक घंटे स्थगित कर पुनः बैठक उसी स्थान पर शुरू की जा सकेगी.

८. न्यासी समिति की सामान्य सभा

प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए समस्त अधिकारों के अनुरूप लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही के पूर्व विचार करने हेतु एवं भविष्य की योजनाओं के लिए सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी.

१. प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार के अनुरूप लिए गए निर्णयों का अनुमोदन करना एवं व्याख्या करना
२. वित्तीय वर्ष के आधार पर, वार्षिक आय-व्यय के ब्यौरे को स्वीकृति प्रदान करना
३. चल अचल संपत्ति का अर्जन, निर्माण, विनियोजन एवं परिवर्तन आदि को स्वीकृति प्रदान करना
४. समस्त वार्षिक आय-व्यय ब्यौरे को स्वीकृति प्रदान करना.
५. माँ बंजारी देवी की पूजा एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना
६. दान, भेट, चंदा इत्यादि से प्राप्त राशि की जानकारी प्राप्त करना
७. माँ बंजारी देवी मंदिर के हित में आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लेना.
८. समस्त वैधानिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखा संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लेना.
९. समिति के २/३ सदस्यों (सात सदस्य) के हस्ताक्षर पर किसी विशेष विषय पर बैठक बुलाने की मांग किये जाने पर एक माह के अन्दर सामान्य सभा की बैठक बुलाई जाएगी
१०. आठ (०८) सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूर्ण होगा. गणपूर्ति के अभाव में बैठक एक घंटे



स्थगित कर पुनः बैठक उसी स्थान पर शुरू की जा सकेगी.

९. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

१. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. न्यासी समिति की सामान्य सभा एवं प्रबंध कारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
- ब. न्यासी समिति की सामान्य सभा एवं प्रबंध कारिणी समिति की बैठक आहूत करने हेतु सचिव को निर्देश देना
- स. विशेष धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम हेतु आकस्मिक व्यय की आवश्यकता पड़ने पर उचित राशि की स्वीकृति प्रदान करना

२. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करना
- ब. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना

३. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. अध्यक्ष के निर्देशानुसार न्यासी समिति सामान्य सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित करना
- ब. न्यासी समिति सामान्य सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यवाही पंजी में लिपिबद्ध करना एवं क्रियान्वयन करना.
- स. रु. दस हजार (रु. १०,०००/=) तक की आकस्मिक व्यय की राशि की स्वीकृति प्रदान करना

४. सहसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. सचिव द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करना
- ब. सचिव की अनुपस्थिति में बैठक का सचिव के रूप में संचालन करना

५. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. माँ बंजारी मंदिर देवी के कोष को बैंक में जमा करना.
- ब. प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशानुसार कोष का संचालन करना
- स. आय-व्यय का विवरण (कैशबुक, लेजर एवं व्हाउचर आदि) संधारित करना
- द. वार्षिक बजट तैयार करना, अंकेक्षण कार्य पूर्ण करना एवं सामान्य सभा तथा प्रबंधकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना

९ (अ) मंदिर का प्रबंधन

मंदिर के कुशल प्रबंधन एवं संचालन का दायित्व प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव का होगा। मंदिर की प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन न्यास समिति के अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकेगा।

१०. संशोधन

माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति के नियमावली में संशोधन सामान्य सभा के २/३ सदस्यों (०७) के द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मत देने पर किया जा सकेगा. यह संशोधन पंजीयक लोक न्यास रायपुर के स्वीकृति के पश्चात ही लागू होगा.

2/19 50

हस्ताक्षर

नाम

पता

१. अध्यक्ष
माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
परिसर, रायपुर
- २.

(51)

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु कार्यालयीन टीप

विषय : डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को धारणाधिकार स्वीकृति संबंध में।

डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 26.07.2017 में उन्होंने छत्तीसगढ़ राजभवन द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-1/2017/रास/यू.-9 दिनांक 10.07.2017 का उल्लेख करते हुये उन्हें सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर का कुलपति नियुक्त किये जाने की जानकारी देते हुये 05 वर्षों के लिये धारणाधिकार की मांग की गई है।

छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर के उपरोक्त आदेश के परिपालन में डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2594/स्था./सा.प्रशा./2017 दिनांक 11.07.2017 के द्वारा दिनांक 11.07.2017 पूर्वान्ह से भारमुक्त किया गया है।

धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में विश्वविद्यालय परिनियम 31, भाग-2 की कंडिका 11 का उद्धारण निम्नानुसार है:-

"On confirmation on a permanent post, a University employee acquires a lien on that post. A University employee holding a permanent post substantively. If appointed substantively to another post. acquires a lien on the second post and cases to hold any lien on the first one"

अतः उक्त प्रावधानानुसार डॉ. रोहिणी प्रसाद, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र को कुलपति पद पर पदभार ग्रहण करने हेतु भारमुक्त तिथि 11.07.2017 से प्रोफेसर अर्थशास्त्र के पद पर 05 वर्ष की धारणाधिकार स्वीकृति के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

52

52

259

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग



विश्वविद्यालय समन्वय समिति
की
25वीं बैठक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 19.04.2017

समय : प्रातः 11.30 बजे,

स्थान : राजभवन, रायपुर


Under Secretary to the Government
Chhattisgarh

53

5

263

माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

✓ प्रस्ताव क्र.-2 ✓ छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में "कोर्ट" शब्द का विलोपन किया जा चुका है परन्तु इसके अन्तर्गत बनाये गये परिनियम एवं अध्यादेश में "कोर्ट" शब्द को विलोपित नहीं किया गया है। इस हेतु परिनियम एवं अध्यादेश में जहाँ-जहाँ 'कोर्ट' शब्द अंकित है उसको विलोपित करने हेतु प्रस्ताव।


निर्णय :- प्रस्ताव मान्य किया गया।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रस्ताव :-

Ordinances - 11

Statute-2

- ✓ प्रस्ताव क्र.-3
- ✓ • Draft of Ordinance No 182- One year Diploma Hospitality management का अनुमोदन।
 - Draft for amendment of Ordinance No 45- Doctor of Philosophy का अनुमोदन। ✓
 - ✓ • Ordinance No. 184- Integrated M.Sc. Programme of CBS
 - ✓ • Ordinance No 185- Bachelor of Education (B.Ed. Semester System)
 - ✓ • Ordinance No. 186- Master of Education (M.Ed. Semester System)
 - Ordinance No. 187- Bachelor of Physical education (B.P.Ed. Two year- four semester) ✓
 - ✓ • Revised Ordinance No 88- Master of Business Administration
 - New Ordinance No. 188- Bachelor of Vocational Education (B.Voc) Renewable Energy, Technology & Management ✓
 - New Ordinance No 189. - B.Ed. Special Education (MR) in semester System (Bachelor of Education) ✓


 Under Secretary to the Government
 Raipur

54

54

54

- ✓ • Amendment Ordinance No. 4- Minimum Qualification and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors in University for appointment of persons through Open Advertisement and promotion of working teachers through CAS.
- ✓ • एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2009 के स्थान पर रेगुलेशन 2014 को अंगीकृत करने बाबत।
- Ordinance No.6- Examinations (General)
- ✓ • परिनियम क्रमांक 20 Other Officers of the University – conditionsof Service, powers and duties.
- ✓ • Statute No. 10 – Board of Studies

निर्णय :-

प्रस्ताव मान्य किया गया।

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर का प्रस्ताव :-

Ordinances - 3

Statute -2

प्रस्ताव क्र. 4

- Ordinance No. 42 Doctor of Philosophy.
- Ordinance No 145 Semester System (Two Years Post Graduate Courses) for Affiliated Colleges
- Ordinance No 144 Semester system (Three years Bachelor Degree Programme Under Choice Based Credit System) for Affiliated Colleges
- Statute No. 26(B) – New Contributory Pension Scheme
- Statute No. 27(B) – Admission of interim Institution to the privileges of the Vishwavidyalaya and withdrawal thereof का अनुमोदन।

निर्णय :-

प्रस्ताव मान्य किया गया।

Under Secretary to the Governor
Chhattisgarh.

55

~~10~~

270

अतिरिक्त प्रस्ताव :-

प्रस्ताव क्र. 13

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा दिनांक 11.04.2017 को प्रेषित प्रस्ताव :-

- Revised Ordinance No. 45 Doctor of Philosophy
- Revised Ordinance No 52 Master of Philosophy
- Ordinance No 107 Bachelor of Computer Application (BCA)
- Ordinance No 133 Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)
- सूचना का अधिकार के तहत छात्रों को उत्तर-पुस्तिका प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन।

निर्णय :-

प्रस्ताव का परीक्षण राजभवन के द्वारा किया जायेगा एवं राजभवन द्वारा लिया गया निर्णय समन्वय-समिति द्वारा अनुमोदित मान्य किया जायेगा ।

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रस्ताव :-

प्रस्ताव क्र.- 14

विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निम्नांकित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

- MBA (Hospital Administration), 4 Semester
- MBA (Human Resource Development), 4 Semester
- MA (Prayojanmulak Hindi, Sahitya Avam Anuvad), 4 Semester
- MA (Chhattisgarhi), 4 Semester

निर्णय :-

समन्वय समिति अवगत हुई।


Under Secretary to the Governor
Chhattisgarh.

विषय:— अध्यादेश क्रमांक 180 LL.B. Three Year Law Degree Course (Semester System) में संशोधन प्रस्ताव पर विचार करना।

टीप:— संशोधन प्रस्ताव विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.03.2015 में अनुमोदित प्रपत्र-2 पर आयुक्त उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासनस ब्लॉक C-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर को विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25 वीं बैठक में रखे जाने हेतु प्रेषित की गई थी। राजभवन के पत्र क्रमांक 1823/911/2016/रास/यू.-1 रायपुर दिनांक, 02/05/2016 के द्वारा अमान्य किया गया।

वर्तमान में उपरोक्त अध्यादेश के अनुसार परीक्षा के आयोजन होने के कारण LL.B. की परीक्षा परिणाम में विलंब होने से LL.B. के पास छात्र LL.M. के प्रवेश से वंचित रह जाते हैं, जिसके कारण अनावश्यक छात्रों का दबाव/आकोश विश्वविद्यालय पर होता है।

अतः यदि अन्य सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ LL.B. की परीक्षा का भी आयोजन होने से अप्रिय स्थिति निर्माण नहीं होगी। इसलिये अध्यादेश क्रमांक 180 की Clause (2) में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

माननीय कार्यपरिषद के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरनाम : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262840 (कुलसचिव), E.mail - academicprsu@gmail.com



क्रमांक 3168 /अका./2015

रायपुर, दिनांक 27/03/2015

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा,
ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय : अध्यादेश क्र. 180- LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System) में संशोधन प्रस्ताव समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत के संबंध में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25वीं बैठक में अध्यक्ष के अनुमति से रखे जाने हेतु अध्यादेश क्र. 180- LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System) में संशोधन प्रस्ताव प्रपत्र-2 संलग्न कर, आपकी ओर अग्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

कुलसचिव

क्रमांक 3169 /अका./2015

रायपुर, दिनांक 27/03/2015

प्रतिलिपि :

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

प्रपत्र - दो

1. विश्वविद्यालय का नाम : पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक : अध्यादेश क्रमांक 180
3. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम का नाम : LL.B. THREE YEAR LAW DEGREE COURSE (Semester System)
4. अनुशंसा के प्राधिकारी का नाम एवं अनुशंसा की तिथि धारा 52 (4) की स्थिति में कुलपति द्वारा अनुशंसा की तिथि : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2015 में अनुमोदित

वि.वि. अधिनियम/ अध्यादेश/ परिनियम क्रमांक	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
180	In clause (2) LL.B. First Semester shall be commence from the month of July every year and the Semester examination shall be held in the month of January of the following year. Examination for all the semester shall be held twice a year namely January/February and July/August.	In clause (2) LL.B. First Semester shall commence from the month of July every year. The examination for the first and the third semester shall ordinarily be completed by the end of December and examinations for the second and the fourth semesters shall ordinarily be completed by the end of May each year.	अन्य संकायों के सेमेस्टर परीक्षा के साथ एकरूपता हेतु यह संशोधन आवश्यक है।

दिनांक :

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor



सत्यमेव जयते

दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office : +91-771-2331101

निवास Res. :

फैक्स Fax : +91-771-2331104

राजभवन, रायपुर - 492001

Raj Bhavan, RAIPUR - 492001

क्र. सं. 1072/911/2016/रास/यू-1
प्रति,

रायपुर, दिनांक 11/03/2016

✓ कुलपति,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर ।

विषय :- समन्वय समिति में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक-180

संदर्भ :- आपका अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक 2074/के.एस./2016 दिनांक 28.01.2016.

संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें ।


2/ अध्यादेश क्रमांक-180 में वर्तमान में वर्णित प्रावधान स्पष्ट है। उसके अनुसार ही अध्यापन और परीक्षा होना चाहिए। अब जो संशोधन प्रस्तावित है वह छात्रहित में प्रतीत नहीं होता है। इसमें परीक्षा की समय-सीमा के प्रावधान को परिवर्तित किया जा रहा है।

अतः निर्देशानुसार इस पर अनुमति दिया जाना उचित नहीं है ।

(आर०के० स्वस्तिक)

राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़

2-504
17-3-16





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607



क्रमांक: 1094 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक: 7 / 04 / 2016

प्रति,

श्री आर.के. स्वस्तिक,
माननीय राज्यपाल एवं
कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव,
राजभवन,
छत्तीसगढ़ रायपुर.

विषय : समन्वय समिति में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक-180.


संदर्भ : आपका पत्र क्र. 1072/911/2016/रास/यू.-1 रायपुर, दिनांक 11.03.2016.
=0=0=0=

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में सूचित करना है कि छात्रों के मांग पर अन्य संकाय के सेमेस्टर परीक्षा के साथ एकरूपता हेतु यह संशोधन किया गया है, जिससे एल.एल.बी. के छात्र विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र-गतिविधियों में भाग ले सकें। अतः यह प्रस्ताव प्रपत्र-2 में भरकर समन्वय समिति के 25वीं बैठक में रखे जाने हेतु प्रेषित की गई है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार प्रपत्र-2.

भवदीय,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 1095 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक: 7 / 04 / 2016

प्रतिलिपि :

कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor



राज भवन, रायपुर

RAJBHAVAN, RAIPUR

दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office : 2331101

निवास Res. :

फैक्स Fax : 2331104

रायपुर, दिनांक 2/05/2016

क्रमांक 1823 /911/2016/रास/यू-1
प्रति,

✓ कुलसचिव,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर ।

विषय :- समन्वय समिति में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक-180

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1094/अका./2016 दिनांक 07.04.2016.

निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र में छात्रों की मांग पर अध्यादेश क्रमांक 180 द्वारा किये गये संशोधन की आवश्यकता न हाने के कारण अनुमोदन योग्य नहीं है एवं वर्तमान अध्यादेश समुचित है ।

(सैयद. कोसर अली)
राज्यपाल के अवर सचिव
छत्तीसगढ़